लक्ष्मी कांत पांडेय

बनाम

भारत संघ

6 फरवरी, 1984

[श्री पी० एन० भगवती, श्री आर०एस० पाठक एवं श्री अमरेंद्र नाथ सेन, न्यायमूर्तिगण]

विदेशी नागरिकों द्वारा बच्चों को गोद लेना – अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण – विदेशी नागरिक द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले मानक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनिवार्यता, उल्लिखित रूपरेखा - भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 15, 24 और 39 एवं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890 का अधिनियम VIII), धारा 7 से 9 और 11

याचिकाकर्ता, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता हैं, ने न्यायालय को जनहित में एक पत्र लिखा, जिसमे में उन्होंने उन सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की, जो भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने के कार्य लगी हुई थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि न केवल नन्हे भारतीय बच्चों को दत्तक ग्रहण के नाम पर "दूरस्थ विदेशी देशों की लंबी भयावह यात्रा के लिए भेजा जाता है, जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा होता है, बल्कि यदि वे जीवित भी रहते हैं और जहां उन्हें किसी आश्रय या राहत गृह में स्थान नहीं मिलता, तो वे समय के साथ भिखारी या वेश्यावृत्ति में धकेल दिये जाते हैं, क्योंकि उन्हें कथित पालक माता-पिता से उचित देखभाल नहीं मिलती।" अतः, याचिकाकर्ता ने भारतीय निजी संस्थाओं को "विदेशों में गोद लेने के लिए बच्चों को भेजने की गतिविधि को रोकने" और भारत सरकार, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की मांग की कि भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया में उचित देखरेख और नियमों का पालन किया जाए। यह मामला एक जनहित याचिका के रूप में लिया गया और पत्र को एक रिट याचिका मानकर विचार किया गया।

न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कि विदेशी माता-पिता को बच्चा गोद देने में किन सिद्धांतों और मानकों का पालन किया जाना चाहिए, निम्नलिखित निर्णय दिया:

1:1. प्रत्येक बच्चे को प्रेम करने और प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है तथा उसे एक ऐसे वातावरण में बड़ा होने का अधिकार है जहाँ उसे प्रेम, स्नेह, नैतिक एवं भौतिक सुरक्षा प्राप्त हो। यह केवल तभी संभव है जब बच्चे का पालन-पोषण किसी परिवार में हो। सबसे अनुकूल वातावरण निश्चित रूप से उसके जैविक माता-पिता के परिवार का होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश जैविक माता-पिता या अन्य निकट संबंधी बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं, या बच्चा परित्यक्त है और उसके माता-पिता को ढूंढ पाना संभव नहीं है, या वे उसकी देखभाल करने के इच्छुक नहीं हैं, तो अगला सर्वोत्तम विकल्प यह होगा कि उसके लिए गोद लेने वाले माता-पिता खोजे जाएँ ताकि वह उनके प्रेम और देखभाल में बड़ा हो सके। गोद लेने वाले माता-पिता, जैविक माता-पिता के लिए अगला सर्वोत्तम विकल्प होंगे।

1:2. जब किसी बच्चे के माता-पिता उसे गोद देने की इच्छा रखते हैं या बच्चा परित्यक्त होता है और उसके सर्वोत्तम हित में उसे गोद देना आवश्यक माना जाता है, तो सबसे पहले यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उसे देश के भीतर ही गोद लेने वाले माता-पिता मिलें। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के भीतर गोद लिया जाना सांस्कृतिक, नस्लीय या भाषाई भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली समायोजन की किसी भी समस्या से बचाएगा, जो कि विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। यदि देश के भीतर उपयुक्त गोद लेने वाले माता-पिता नहीं मिलते, तो यह आवश्यक हो सकता है कि बच्चे को विदेशी माता-पिता को गोद देने की अनुमति दी जाए, बजाय इसके कि वह किसी अनाथालय या संस्था में बड़ा हो, जहाँ उसे पारिवारिक जीवन और माता-पिता का प्रेम और स्नेह प्राप्त न हो। इसके अलावा, देश में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे बच्चों को अक्सर दरिद्रता, अधूरे वस्त्र, अधूरी पोषण और बीमारियों से ग्रसित जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

2:1. बच्चे को गोद देने का मुख्य उद्देश्य उसके कल्याण को सुनिश्चित करना होना चाहिए। विदेशी माता-पिता को बच्चे को गोद देने की अनुमति देने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा उपेक्षित या परित्यक्त न हो जाए। यह भी आवश्यक है कि गोद लेने वाले माता-पिता बच्चे को नैतिक या भौतिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हों। अन्यथा, यह जोखिम बना रहेगा कि बच्चा नैतिक या यौन शोषण, जबरन श्रम, या चिकित्सा व अन्य शोध के लिए प्रयोग का शिकार हो सकता है, जिससे उसकी स्थिति अपने देश की तुलना में और भी बदतर हो सकती है।

2:2. चूंकि हमारे देश में विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कोई वैधानिक विधान नहीं है, जिसमें ऐसी स्थिति में अनुसरण करने योग्य प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इसलिए ऐसी गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है।

2:3. बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने नियमों और निर्देशों के माध्यम से एक प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसे तब अपनाया जाता है जब कोई विदेशी नागरिक अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत गोद लेने के लिए आवेदन करता है। इस प्रक्रिया में भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और अन्य आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थाओं को नोटिस जारी करना शामिल है, ताकि वे न्यायालय की सहायता कर सकें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी माता-पिता का आवेदन सावधानीपूर्वक जांचा जाए और यह निर्धारित किया जाए कि क्या बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसे गोद देना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, यह जाँचना आवश्यक है कि क्या इस गोद लेने की प्रक्रिया से बच्चे को नैतिक और भौतिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा क्या उसे एक परिवार के प्रेम और स्नेह से भरपूर वातावरण में अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह प्रक्रिया अत्यधिक उचित और वांछनीय है, क्योंकि इससे यह संभावना काफी हद तक कम हो जाती है (या लगभग समाप्त हो जाती है) कि बच्चा किसी अनुपयुक्त या अवांछनीय माता-पिता को गोद दे दिया जाए या ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जहाँ उसे उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण का शिकार होना पड़े।

रसिकलाल छगनलाल मेहता (A.I.R. 1982 गुजरात 193) मामले को अनुमोदित किया गया।

3:1. जिस प्रकार के आवश्यकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए जब कोई विदेशी नागरिक बच्चे को गोद लेना चाहता है, तथा जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की अंतर्देशीय गोद लेने से बच्चों के दुरुपयोग, प्रताड़ना या शोषण की स्थिति न उत्पन्न हो और उन्हें एक स्वस्थ, सम्मानजनक पारिवारिक जीवन मिल सके, वे निम्नलिखित हैं:

(1) एक विदेशी नागरिक द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित होना चाहिए, जिसमें वह निवासी है। किसी भी विदेशी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए किया गया आवेदन सीधे तौर पर भारत के किसी भी सामाजिक या कल्याण संस्था द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए जो अंतर्देशीय गोद लेने के क्षेत्र में कार्यरत है, या किसी ऐसे संस्थान,

केंद्र या गृह द्वारा भी जिसमें बाल न्यायालय द्वारा बच्चों को भेजा गया हो। यह मुख्य रूप से तीन कारणों से अनिवार्य है।

प्रथम कारण: यह प्रक्रिया बच्चों की तस्करी और उनसे लाभ कमाने की संभावना को काफी हद तक कम करेगी, यदि पूरी तरह समाप्त न कर सके। यदि किसी विदेशी नागरिक को भारत में कार्यरत संस्थाओं या व्यक्तियों से सीधे संपर्क करने की अनुमति दी जाए, तो वह गोद लेने के लिए बच्चे को प्राप्त करने की अपनी इच्छा या अधीरता के कारण किसी भी अनुचित या अत्यधिक राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित या बाध्य हो सकता है, जो कि बच्चे की व्यवस्था करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है। दूसरा कारण: न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो जाएगा कि वह विदेशी नागरिक, जो बच्चे को गोद लेना चाहता है, बच्चे के लिए उपयुक्त माता-पिता है या नहीं, और क्या वह बच्चे को एक स्थिर तथा सुरक्षित पारिवारिक जीवन प्रदान कर सकेगा। साथ ही, यह भी जाँचना मुश्किल होगा कि वह अंतर- नस्लीय, अंतर-सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को संभालने में सक्षम है या नहीं, जो ऐसे गोद लेने से उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बच्चे को गोद लेने का आवेदन विदेशी के देश में किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, तो न्यायालय के पास उस पर निर्भर करने के लिए कोई उचित और संतोषजनक गृह अध्ययन विवरणी उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा कारण: ऐसे मामले में, जहाँ किसी विदेशी द्वारा सीधे बच्चे को गोद लेने का आवेदन किया जाता है, बिना किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के हस्तक्षेप के, तो विदेशी के देश में कोई ऐसी प्राधिकरण या संस्था नहीं होगी जिसे बच्चे की प्रगति की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने कि बच्चा जल्द से जल्द कानून के अनुसार गोद लिया जाए, और उसे नैतिक एवं भौतिक सुरक्षा के साथ प्रेम, स्नेह तथा गर्मजोशी से भरपूर पारिवारिक वातावरण प्रदान किया जाए, की जिम्मेदारी दी जा सके।

प्रत्येक विदेशी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए किया गया आवेदन निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों और घोषणाओं के साथ संलग्न होना चाहिए: एक गृह अध्ययन विवरणी (गृह अध्ययन रिपोर्ट)। आवेदन को प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा परिवार का हाल ही में लिया गया एक फ़ोटो। विदेशी नागरिक और उसके/उसकी जीवनसाथी का विवाह प्रमाण पत्र। उनके स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा, जिसमें एक प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र शामिल हो, जो उनकी चिकित्सा फिटनेस की पुष्टि करता हो। उनके वित्तीय स्थिति से संबंधित घोषणा और समर्थन दस्तावेज, जिनमें आवश्यकतानुसार नियोक्ता का प्रमाण पत्र, आयकर आकलन आदेश, बैंक संदर्भ और उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों के विवरण शामिल हों। एक घोषणा कि वे बच्चे के संरक्षक नियुक्त होने

के इच्छुक हैं तथा एक प्रतिज्ञा कि बच्चे के आगमन के समय से अधिकतम दो वर्षों के भीतर अपने देश के कानून के अनुसार बच्चे को गोद ले लेंगे और गोद लेने की सूचना उस न्यायालय तथा भारत की सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को देंगे, जो उन्हें संरक्षक नियुक्त कर रही है। एक प्रतिज्ञा कि वे बच्चे का पालन-पोषण करेंगे, उसे आवश्यक शिक्षा और उसके सामाजिक-आर्थिक स्तर के अनुसार उचित संस्कार प्रदान करेंगे तथा न्यायालय एवं संबंधित सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को बच्चे की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट, साथ ही उसकी हाल की तस्वीर, भेजते रहेंगे। पहली दो वर्षों में यह प्रगति विवरणी त्रैमासिक और उसके बाद के तीन वर्षों के लिए अर्धवार्षिक दी जाएगी। इसके अतिरिक्तः विदेशी के आवेदन के साथ एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी संलग्न होनी चाहिए, जो भारत में सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के किसी अधिकारी के पक्ष में जारी की गई हो, जिसे मामले की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया हो। यह पावर ऑफ अटॉर्नी विदेशी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके ओर से मामला संभालने का अधिकार देती है। आवेदन को प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को यह प्रमाणित करना होगा कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार विदेशी के देश के कानून के अनुसार उसे प्राप्त है। ये सभी प्रमाणपत्र, घोषणाएं और दस्तावेज विदेशी के द्वारा बच्चे को गोद लेने के आवेदन के साथ संलग्न होने चाहिए, और इन्हें एक नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत किया जाना चाहिए। नोटरी के हस्ताक्षर को विदेशी के देश के विदेश मंत्रालय, न्याय या सामाजिक कल्याण के किसी अधिकारी, या उस देश में भारतीय दूतावास/हाई कमीशन/काउंसलेट के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। साथ ही, आवेदन को प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को यह भी प्रतिबद्धता देनी होगी कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी द्वारा बच्चे का गोद लेना, विदेशी के देश के कानून के अनुसार, अधिकतम दो वर्षों के भीतर सम्पन्न हो जाए। गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होते ही, वह दो प्रमाणित प्रतियां (एक प्रतिलिपि न्यायालय में दायर की जाएगी और दूसरी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के पास रहेगी) गोद लेने के आदेश की, भारत में जिस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से संरक्षकता की प्रक्रिया चल रही है, भेज देगी। अंततः, सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को यह भी स्वीकार करना होगा कि वह संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को बच्चे की प्रगति से संबंधित विवरणी भेजेगी—पहले वर्ष में त्रैमासिक और उसके बाद के वर्षों में अर्धवार्षिक—जब तक कि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। साथ ही, यदि विदेशी के परिवार में किसी व्यवधान के कारण गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तो संस्था बच्चे की देखभाल करेगी और संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था की स्वीकृति से उसके लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी तथा उस वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना संरक्षकता कार्यवाही संभालने वाले न्यायालय को भेजेगी। इस जानकारी को न्यायालय के

साथ-साथ संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सचिव को भी प्रेषित किया जाएगा।

3:2. भारत सरकार प्रत्येक विदेशी देश की सरकार द्वारा लाइसेंस या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं की एक सूची तैयार करेगी, जहाँ से भारत के बच्चों को गोद लेने के लिए भेजा जाता है। यह सूची संबंधित प्रत्येक विदेशी देश की सरकार तथा उस देश में स्थित भारतीय कूटनीतिक मिशन से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् तैयार की जाएगी। ऐसी सूचियाँ भारत सरकार द्वारा भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं भारत में अंतर-देशीय गोद लेने के क्षेत्र में लाइसेंस या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं को प्रदान की जाएँगी।

3:3. यदि जैविक माता-पिता ज्ञात हों, तो उन्हें गोद लेने के सभी निहितार्थों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिसमें किसी विदेशी द्वारा गोद लेने की संभावना भी शामिल है, और विशेष रूप से बताया जाना चाहिए कि यदि बच्चा गोद लिया जाता है, तो आगे चलकर उनके लिए बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क संभव नहीं होगा। जैविक माता-पिता पर दबाव डालकर गोद देने का निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और एक बार उन्होंने बच्चे को गोद देने का निर्णय लेने के बाद भी, उन्हें अपना निर्णय पुनर्विचार करने के लिए लगभग तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद, यदि उन्हें दिए गए अतिरिक्त समय में पुनर्विचार नहीं किया जाता है, तो उसे अपरिवर्तनीय माना जाना चाहिए और उसके पश्चात् विदेशी को बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने के लिए आवेदन भरकर गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद जैविक माता-पिता से फिर से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठ सकता कि क्या वे बच्चे को गोद देना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की गलतफहमी को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा वास्तव में जैविक माता-पिता द्वारा सुपुर्द किया गया है, आवश्यक है कि जिस संस्था, केंद्र, बाल देखभाल गृह या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था को जैविक माता-पिता द्वारा बच्चा सुपुर्द किया जाता है, वह जैविक माता-पिता से सुपुर्दगी का एक दस्तावेज ले, जिस पर जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर हों और कम से कम दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इस सुपुर्दगी के दस्तावेज में केवल जैविक माता-पिता के नाम और पते ही नहीं, बल्कि बच्चे के जन्म, उसके पार्श्वभूमि, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। यदि जैविक माता-पिता बच्चे के धार्मिक पालन-पोषण के संबंध में कोई प्राथमिकता व्यक्त करते हैं, तो उनकी इच्छा को यथासंभव सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन अंततः केवल बच्चे का हित ही एकमात्र मार्गदर्शक तत्व होना चाहिए और जैविक माता-पिता को यह

सूचित किया जाना चाहिए कि बच्चा किसी ऐसे विदेशी को भी गोद दिया जा सकता है जो जैविक माता-पिता के धर्म से भिन्न धर्म का पालन करता हो। जैविक माता-पिता को बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के तीन महीने के भीतर गोद देने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सावधानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैविक माता-पिता को बच्चे के जन्म के बाद स्वयम् या तो बच्चे का पालन-पोषण करने या गोद देने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, साथ ही बच्चे को जन्म के बाद किसी भी स्वास्थ्य समस्या से उबरने के लिए भी कुछ समय दिया जाना चाहिए।

3:4. किसी भी संस्था या व्यक्ति को विदेशी द्वारा बच्चे को गोद लेने के आवेदन की प्रक्रिया करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ऐसा आवेदन केवल भारत सरकार या उस राज्य की सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही प्रक्रिया में लाया जाना चाहिए। चूंकि संरक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा ही प्रक्रिया में लाया जा सकता है, इसलिए कोई भी मान्यता प्राप्त रहित संस्था, केंद्र या संस्था , जिसके अधीन कोई बच्चा देखभाल में है, यदि वह उस बच्चे को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए सुपुर्द करना चाहती है, तो उसे एक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था से संपर्क करना होगा। ऐसे में, उसे उस बच्चे का नाम और विवरण बिना किसी अनावश्यक देरी के उस मान्यता प्राप्त संस्था को भेज देना चाहिए जिसके माध्यम से उस बच्चे को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए प्रस्तावित किया गया है। भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और भारतीय बाल कल्याण परिषद राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत दो स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसियां हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन इन दो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के अलावा, अन्य सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसियां भी हैं जो बाल देखभाल एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और यदि उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है और वे इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं, तो उन्हें भी अंतर-देशीय गोद लेने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। किन्तु किसी विशेष सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए मान्यता देने का निर्णय लेने से पहले, भारत सरकार या राज्य सरकार को यह अवश्य जाँच लेना चाहिए कि उस संस्था के पास पेशेवर सामाजिक कार्य के अनुभव वाला योग्य स्टाफ है या नहीं, क्योंकि अन्यथा यह संस्था विदेशी गोद लेने वाले परिवार के साथ बच्चे के उचित नियोजन के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य को संतोषजनक रूप से पूरा करने में असमर्थ हो सकती है। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए मान्यता देने की शर्त यह होगी कि वह संस्था उचित लेखा-जोखा रखे, जिसका वार्षिक लेखा परीक्षण एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाए, और वह विदेशी नागरिक से,

जो बच्चे को गोद लेना चाहता है, वह राशि वसूलने का अधिकार नहीं रखेगी जो कि संरक्षक नियुक्ति के आवेदन से संबंधित कानूनी या अन्य खर्चों से अधिक हो, जिसमें कार्य की किए गए मेहनत और परेशानियों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित पारिश्रमिक या मानदेय भी शामिल होगा।

3:5. प्रत्येक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उन सभी बच्चों के नाम और विवरण दर्ज किए जाएँ जिन्हें संस्था के माध्यम से अंतर-देशीय गोद लेने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक ऐसे बच्चे के संबंध में, मान्यता प्राप्त संस्था को एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक बाल अध्ययन विवरणी तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चे से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए ताकि विदेशी नागरिक को यह निर्णय लेने में सहायता मिले कि क्या वह बच्चे को गोद लेना चाहता है या नहीं, और यदि वह गोद लेने का निर्णय लेता है तो बच्चे को समझ सके, तथा न्यायालय को यह निर्णय लेने में सहायत मिले कि क्या बच्चे के हित में विदेशी द्वारा उसे गोद लेना उचित होगा। बाल अध्ययन विवरणी में यथासंभव निम्नलिखित बातों से संबंधित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

(1) पहचान संबंधी जानकारी: (जहां संभव हो, दस्तावेजों द्वारा समर्थित)
(2) मूल माता-पिता के बारे में जानकारी: जिसमें उनके स्वास्थ्य की स्थिति और माता के गर्भावस्था तथा जन्म से संबंधित विवरण शामिल हों।
(3) शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास।
(4) स्वास्थ्य रिपोर्ट: जिसे किसी पंजीकृत चिकित्सक, अधिमानतः बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया हो।
(5) हाल की तस्वीर।
(6) वर्तमान परिवेश: जैसे कि देखभाल का प्रकार (अपने घर, पालक गृह, संस्था आदि), संबंध, दिनचर्या और आदतें।
(7) सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन और अंतर-देशीय गोद लेने का सुझाव देने के कारण।

3:6. मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को किसी विशेष ज्ञात बच्चे के गोद लेने के लिए पूर्व स्वीकृति पर जोर देना चाहिए, और एक बार जब यह स्वीकृति प्राप्त हो जाए, तो संस्था को बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत विदेशी नागरिक को बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसा आवेदन उस न्यायालय में किया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में बच्चा सामान्यतः रहता है, और इसके साथ गृह अध्ययन रिपोर्ट, बाल अध्ययन रिपोर्ट, तथा अन्य प्रमाणपत्र और दस्तावेज संलग्न होने चाहिए जो विदेशी के द्वारा

बच्चे को गोद लेने के आवेदन को प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा भेजे गए हों। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि वह मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था, जिसके माध्यम से किसी विदेशी द्वारा बच्चे को गोद लेने का आवेदन किया जाता है, गोद लेने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि बच्चा वास्तव में गोद लेने के लिए उपलब्ध है। संस्था को न्यायालय के समक्ष पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को स्वयं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है पहला यह कि संभावित दत्तक माता-पिता के देश में बच्चे के प्रवेश में कोई अड़चन न हो; दूसरा यह की बच्चे के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ उपयुक्त समय पर प्राप्त किए जा सकें; ओर अंतिम यह की संभावित दत्तक माता-पिता के देश का कानून बच्चे के कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति देता हो, और ऐसी कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने पर बच्चा एक प्राकृतिक जन्मे बच्चे के समान कानूनी दर्जा, वारिस के अधिकार प्राप्त करे तथा उसे उस देश की नागरिकता प्रदान की जाए। यह संतुष्टि एक प्रमाणपत्र के रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3:7. ऐसे मामलों में जहाँ बच्चा जैविक माता-पिता द्वारा सुपुर्द किया गया हो, या अनाथ, या दरिद्र या परित्यक्त बच्चा किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया जाता है, तो इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कोई सामाजिक या बाल कल्याण संस्था उस बच्चे को दूसरे राज्य में ले जाए, भले ही उद्देश्य उसे गोद लेने के लिए भेजना ही क्यों न हो, बशर्ते कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें कि ऐसी संस्था किसी भी प्रकार के अनियमितता या दुरुपयोग में न लिप्त हो। साथ ही, बच्चे के संरक्षक नियुक्ति के लिए दूसरे राज्य के न्यायालय में आवेदन करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का कोई स्थायी निवास स्थान न होने के कारण वह सामान्यतः उस स्थान पर निवास करता है जहाँ उसे उस संस्था या व्यक्ति की देखरेख में रखा गया है।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 11 में विभिन्न व्यक्तियों, जिसमें बच्चे के माता-पिता भी शामिल हैं (यदि वे उस राज्य में निवास करते हैं जहाँ यह अधिनियम लागू होता है) को आवेदन का नोटिस जारी करने का प्रावधान है। लेकिन, इस धारा के तहत बच्चे के जैविक माता-पिता को नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफी शर्मिंदगी और कठिनाई उत्पन्न हो सकती है यदि जैविक माता-पिता आगे आकर संभावित गोद लेने वाले अभिभावक के संरक्षकता आवेदन का विरोध करें। इसके अतिरिक्त, जैविक माता-पिता को यह ज्ञात हो जाएगा कि बच्चा किसके द्वारा गोद लिया जा रहा है, और इस ज्ञान के साथ वे कभी भी बच्चे के ठिकाने का पता लगा सकते हैं तथा उससे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं,

जिससे बच्चे को भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कष्ट पहुंच सकता है जो उसके भविष्य की खुशी पर असर डाल सकता है। इन्हीं कारणों से, संरक्षकता के लिए आवेदन का नोटिस किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय, भारतीय बाल कल्याण परिषद या भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद या उनके किसी शाखा को आवेदन की जांच के लिए नोटिस जारी करने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे के हित में विदेशी द्वारा उसे गोद लेना उचित होगा, तभी न्यायालय एक आदेश जारी करेगा जिसमें विदेशी को बच्चे का संरक्षक नियुक्त किया जाएगा और उसे दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से बच्चे को अपने देश ले जाने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय निम्नलिखित शर्तें आदेश में शामिल करेगा:

(i) नियुक्त संरक्षक विदेशी द्वारा इस बात का उचित प्रबंध (जमानत, बांध-पत्र आदि के माध्यम से) किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को भारत वापस भेजा जा सके। यदि भविष्य में कोई आवश्यकता हो या किसी भी कारणवश

(ii) नियुक्त संरक्षक विदेशी को न्यायालय एवं संरक्षकता के आवेदन की प्रक्रिया करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट, साथ ही हाल की तस्वीर, पहले दो वर्षों के लिए त्रैमासिक और अगले तीन वर्षों के लिए अर्धवार्षिक जमा करानी होगी।

(iii) संरक्षक नियुक्ति का आदेश एक बच्चे की तस्वीर के साथ होना चाहिए, जिस पर न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गई हो।

न्यायालय द्वारा किसी बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने का आदेश जारी होने पर, इसकी तत्काल सूचना भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय तथा उस राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय को दी जाएगी, जिसमें न्यायालय स्थित है, और ऐसे आदेश की प्रतियाँ दोनों संबंधित सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को भेज दी जाएँगी। भारत सरकार का सामाजिक कल्याण मंत्रालय उन बच्चों के नाम और अन्य विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा, जिनके संबंध में संरक्षक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही उन भावी गोद लेने वाले माता-पिता के नाम, पते और अन्य विवरण भी दर्ज किए जाएंगे जिन्हें संरक्षक नियुक्त किया गया है और जिन्हें गोद लेने के उद्देश्य से बच्चों को अपने पास ले जाने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार समय-समय पर ऐसे संभावित गोद लेने वाले माता-पिता के नाम, पते और अन्य विवरण, तथा उनके द्वारा लिए गए बच्चों के विवरण को संभावित गोद लेने वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास या हाई कमीशन को भेजेगी, और उनसे अनुरोध करेगी कि वे इन बच्चों के कल्याण और प्रगति पर बिना किसी बाधा के नजर रखें, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, शोषण या अन्य अपवित्र उद्देश्यों के खिलाफ संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और यदि किसी

भी प्रकार की उपेक्षा, दुरुपयोग या शोषण का उदाहरण सामने आता है तो भारत सरकार को तुरंत सूचित किया जा सके, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

3:8. उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जो भावी गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा चयनित बच्चे की देखरेख कर रही है, भावी गोद लेने वाले माता-पिता से चयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक जब बच्चा नए घर के लिए रवाना होता है, प्रतिदिन अधिकतम ₹60 (यह सीमा समय-समय पर भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित की जा सकती है) तक के मेंटेनेंस खर्च, साथ ही बच्चे के लिए वास्तव में किए गए चिकित्सा खर्च (जिनमें अस्पताल में भर्ती शुल्क भी शामिल हो सकते हैं) वैध रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। परन्तु, ऐसे देखरेख शुल्क और चिकित्सा खर्च के भुगतान का दावा भावी गोद लेने वाले माता-पिता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3:9. यदि बच्चे को अंतर-देशीय गोद लेने के लिए दिया जाना है, तो यह वांछनीय होगा कि उसे 3 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही गोद लिया जाए। इसका कारण यह है कि यदि बच्चे को समझ की आयु से पहले गोद लिया जाता है, तो उसके लिए नए पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाना संभव होता है, जहाँ वह किसी विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिया जाता है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी अंतर-देशीय गोद लेने के लिए दिया जा सकता है। इस संबंध में कोई कड़ा नियम नहीं हो सकता। 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी नए परिवेश में बिना किसी कठिनाई के समायोजित होना संभव हो सकता है। सात वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी अंतर-देशीय गोद लेने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन यदि वे अपनी पसंद जाहिर करने में सक्षम हों तो उनकी इच्छाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए।

3:10. संरक्षकता के लिए किए गए आवेदन की कार्यवाही न्यायालय द्वारा इनकैमेरा (गोपनीय रूप से) आयोजित की जानी चाहिए और इसे गोपनीय माना जाएगा। जैसे ही संरक्षकता के आवेदन पर कोई आदेश पारित होता है, पूरी कार्यवाही सहित सभी कागजात और दस्तावेज सील कर दिए जाने चाहिए।

3:11. उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जो भावी गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा चयनित बच्चे की देखभाल कर रही है, भावी गोद लेने वाले माता-पिता से चयन की तिथि से लेकर उस तिथि तक के लिए, जब बच्चा अपने नए घर के लिए रवाना होता है, प्रतिदिन अधिकतम ₹60 (यह सीमा समय-समय पर भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित की जा सकती है) के अनुरूप देखरेख खर्च, साथ ही बच्चे के लिए वास्तव में किए गए चिकित्सा खर्च (जिनमें अस्पताल में भर्ती शुल्क भी शामिल हो सकते हैं) वैध रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। परंतु, ऐसे देखभाल शुल्क और चिकित्सा खर्च के भुगतान का दावा मान्यता

प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से भावी गोद लेने वाले माता-पिता को प्रस्तुत किया जाएगा, न कि सीधे उस संस्था को, जिसने दावा किया है। भुगतान केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही किया जाएगा। हालांकि, कोई विदेशी नागरिक किसी भी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को स्वेच्छा से दान कर सकता है, परंतु भावी गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा दिया जाने वाला ऐसा कोई भी दान तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चा गोद लेने वाले भावी माता-पिता के देश में प्रवेश नहीं कर जाता।

निर्णय: आरंभिक अधिकारिता: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1171, वर्ष 1982

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।
याचिकाकर्ता स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित,

प्रतिवादिगण के लिए:
सुश्री ए. सुभाषिनी, भारत संघ तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय के लिए

सुश्री कामिनी जयसवाल- भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद के लिए

जे.बी. दादाचांजी एंड कंपनी - भारतीय बाल कल्याण परिषद और स्वीडिश दूतावास के लिए

डॉ. एन.एम. घटाटे -ऑल गॉड्स चिल्ड्रन इंक. एरिजोना, यूएसए के लिए

पी.एच. पारिख - महाराष्ट्र राज्य महिला बाल कल्याण परिषद, बॉम्बे और इन्फेंट डे -ला स्पायर के लिए

पी.के. चक्रवर्ती - कानूनी सहायता सेवा, पश्चिम बंगाल के लिए।

श्रीमती माणिक करंजावाला - भारतीय दत्तक ग्रहण संवर्धन संघ के लिए ।

श्रीमती उर्मिला कपूर - एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया के लिए।

कैलाश वासुदेव - मिशनरी ऑफ चैरिटी, कोलकाता के लिए,बलदेव राज - स्वयं उपस्थित,

जी.एम. कोएल्हो (बार एट लॉ) - एनफैंट्स डू मोंडे *(फ्रांस)* के लिए,

सुश्री रानी जेठमलानी - कुआनयिन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए,

बी.एम. बागेरिया - टेरे डेस होम्स *(इंडिया)* सोसाइटीके लिए,
सुकुमार घोष - मिशन ऑफ होप *(इंडिया)* सोसाइटी, कलकत्ता के लिए,

एस.के. मेहता - नीदरलैंड अंतर देशीय बाल कल्याण संगठनके लिए,

परिजोत सिन्हा - अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण सोसायटी के लिए,

कैलाश वासुदेव - भविष्य के लिए

न्यायालय का निर्णय

श्री पी० एन० भगवती माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था। यह रिट याचिका इस न्यायालय में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता लक्ष्मी कांत पांडेय द्वारा संबोधित एक पत्र के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने के काम में लगे सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा किए गए दुराचारों की शिकायत की गई है। पत्र में "द मेल" नामक एक प्रतिष्ठित विदेशी पत्रिका के कर्मचारियों द्वारा की गई आनुभाविक अनुसंधान (एम्पिरिकल इन्वेस्टीगेशन) के आधार पर एक प्रेस विवरणी का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाया गया है कि न केवल नन्हे भारतीय बच्चों को गोद लेने के नाम पर एक लंबी, भयावह यात्रा के लिए दूरस्थ विदेशी देशों में भेज दिया जाता है, जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा होता है, बल्कि कई मामलों में जहां वे जीवित रहते हैं और उन्हें किसी शरण या राहत गृह में नहीं रखा जाता, वे समय के साथ उचित देखभाल के अभाव में भिखारी या वेश्यावृत्ति में धकेल दिए जाते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने राहत की मांग की, जिसमें भारतीय निजी संस्थाओं को "विदेश में गोद लेने के लिए बच्चों को भेजने की गतिविधि जारी रखने से रोकने" और भारत सरकार, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई कि वे भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने के मामले में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।

इस पत्र को एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया गया और 1 सितंबर, 1982 के आदेश द्वारा न्यायालय ने भारत सरकार, भारतीय बाल कल्याण परिषद और भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद को नोटिस जारी किया। उन्हें रिट याचिका के उत्तर में उपस्थित होने और न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों और मानदंडों को स्थापित किया जा सके कि क्या किसी बच्चे को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, और यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाए, ताकि बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में सबसे पहले अपनी लिखित अभिकथन दायर की। इसकी लिखित अभिकथन जो 30 सितंबर, 1982 को दायर की गई, न केवल भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री प्रदान करती थी, बल्कि इसमें न्यायालय द्वारा इस विषय पर सिद्धांतों और मानकों के निर्धारण तथा गोद लेने की प्रक्रिया तय करने के लिए विभिन्न सुझाव और सिफारिशें भी शामिल थीं। हमारे समक्ष प्रस्तुत इस व्यापक सामग्री का संदर्भ देने का अवसर आएगा, साथ ही हम भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा लिखित अभिकथन में दिए गए विभिन्न सुझावों और सिफारिशों पर भी चर्चा करेंगे, जब हम रिट याचिका में उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे। फिलहाल यह कहना पर्याप्त होगा कि भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद की लिखित अभिकथन एक सुविचारित दस्तावेज़ है, जो इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है। जब यह रिट याचिका 12 अक्टूबर, 1982 को न्यायालय में सुनवाई के लिए आई, तो एकमात्र लिखित अभिकथन भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा दायर की गई थी, जबकि न तो भारत संघ और न ही भारतीय बाल कल्याण परिषद ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का कोई उत्तर दिया था।लेकिन एक स्वीडिश संगठन "बार्नन फ्रैम्फ़र ऑल्ट दत्तक ग्रहणकर्ता" से एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय को सूचित किया गया कि यह संगठन रिट याचिका की सुनवाई में भाग लेना चाहता है और न्यायालय के समक्ष उचित सामग्री प्रस्तुत करना चाहता है। एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया भी अपनी अधिवक्ता श्रीमती उर्मिला कपूर के माध्यम से उपस्थित हुआ और रिट याचिका की सुनवाई में हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) की अनुमति मांगी, ताकि वे भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने के मुद्दे पर अपनी अभिकथन प्रस्तुत कर सकें। चूंकि एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज ऑफ इंडिया निश्चित रूप से बच्चों के कल्याण से संबंधित एक संगठन है, इसलिए न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 1982 के एक आदेश द्वारा उन्हें हस्तक्षेप करने और न्यायालय के समक्ष अपना अभिकथन प्रस्तुत करने की अनुमति दी। उसी आदेश में न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निबंधक द्वारा बार्नन फ्रैम्फ़र ऑल्ट दत्तक ग्रहणकर्ता को एक संचार भेजा जाए, जिसमें रिट याचिका की सुनवाई की स्थगित तिथि की सूचना दी जाए और बताया जाए कि यदि वे कोई सामग्री प्रस्तुत करना चाहते हैं तथा अपना अभिकथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे स्थगित तिथि से पहले एक शपथपत्र दायर करके ऐसा कर सकते हैं। न्यायालय ने भारत संघ को यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले उन भारतीय संस्थानों या संगठनों के नाम प्रस्तुत किए जाएँ, जो भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और भारतीय बाल कल्याण परिषद के अलावा विदेशी माता-पिता को भारतीय बच्चों को गोद देने के कार्य में संलग्न या शामिल हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि भारत संघ के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें यथासंभव आवश्यक जानकारी एकत्र करनी चाहिए और इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना

चाहिए। न्यायालय ने इसी प्रकार का निर्देश भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और SOS चिल्ड्रन विलेजेज ऑफ इंडिया को भी जारी किया। इसके अलावा, उसी आदेश में न्यायालय ने भारत सरकार, भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और SOS चिल्ड्रन विलेजेज ऑफ इंडिया को यह निर्देश भी दिया कि वे न्यायालय को उन विदेशी संस्थाओं के नाम और विवरण उपलब्ध कराएँ, जो भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता के लिए गोद लेने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। इन निर्देशों के अनुपालन के लिए रिट याचिका की सुनवाई 9 नवंबर, 1982 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद भारतीय समाज कल्याण परिषद ने न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 और बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 की प्रतियां दायर कीं। बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 को राज्यसभा में 1972 के दौरान पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। इसका मुख्य कारण संभवतः मुस्लिम समुदाय का विरोध था, क्योंकि यह विधेयक सभी समुदायों, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, पर समान रूप से लागू होने वाले एक समान गोद लेने के कानून का प्रावधान करता था। यह समझना थोड़ा कठिन है कि मुस्लिम समुदाय ने इस विधेयक का विरोध क्यों किया, जबकि यह विधेयक केवल मुसलमानों को यदि वे चाहें तो गोद लेने का अधिकार प्रदान करता था; इसमें कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था जो किसी मुसलमान को उसके धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर करता। यह मात्र एक सक्षमकारी कानून था, और यदि कोई मुसलमान यह महसूस करता कि गोद लेना उसके धर्म के विरुद्ध है, तो वह गोद नहीं लेने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई तीव्र भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी धार्मिक संवेदनाओं को ठेस न पहुँचाने के उद्देश्य से, बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980, जिसे आठ वर्ष बाद 16 दिसंबर, 1980 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इसमें एक स्पष्ट प्रावधान जोड़ा गया कि यह विधेयक मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। इस परिवर्तन को छोड़कर, बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 की शर्तें बाल गोद लेने विधेयक, 1972 के समान ही थीं। बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 दुर्भाग्यवश अब तक कानून के रूप में पारित नहीं किया गया है, लेकिन इस विधेयक के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, क्योंकि ये यह संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार ने उन सिद्धांतों और मानकों को किस प्रकार आवश्यक माना, जिनका पालन विदेशी माता-पिता को गोद दिए जाने वाले बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी देखा जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को आवश्यक समझा। बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 की धारा 23 और 24 भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने की समस्या से संबंधित थीं और इन धाराओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

धारा 23(1) धारा 24 के तहत किसी आदेश के अधिकार के अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को गोद लेने की दृष्टि से भारत के नागरिक बच्चे को भारत से बाहर किसी भी स्थान पर ले जाना या भेजना किसी भी व्यक्ति के लिए वैध नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाता है या भेजता है या उस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा हस्तांतरित करने के लिए कोई व्यवस्था करता है या उसमें भाग लेता है, वह छह महीने तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।धारा (24): (1) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, जो भारत में अधिवासित नहीं है, जिला न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस देश के या उसके भीतर कानून के तहत या उसके भीतर एक बच्चे को गोद लेने का इरादा रखता है, जिसमें वह अधिवासित है, और उस उद्देश्य के लिए बच्चे को तुरंत या अंतराल के बाद भारत से ले जाने की इच्छा रखता है, तो अदालत एक आदेश (इस धारा में एक अस्थायी गोद लेने के आदेश के रूप में संदर्भित) दे सकती है जो आवेदक को उपरोक्त उद्देश्य के लिए बच्चे को ले जाने के लिए अधिकृत करती है और आवेदक को बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा प्रदान करती है, जब तक कि उसका दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया लंबित हैः

बशर्ते कि किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न न हो कि –

(i) उनकी राय में आवेदक, बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए उपयुक्त व्यक्ति है।

(ii) आवेदक के अधिवास वाले देश के कानून के तहत बच्चे के कल्याण और हितों की रक्षा की जाएगी।

(iii) आवेदक ने इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जमानत, बंधपत्र या अन्य किसी विधि के माध्यम से उचित प्रावधान किया हो, ताकि यदि किसी भी कारणवश आवश्यक हो, तो बच्चे को भारत वापस लाया जा सके।

(2) इस अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के आदेश से संबंधित प्रावधान, जहाँ तक संभव हो, इस धारा के तहत किए गए अस्थायी दत्तक ग्रहण के आदेश पर भी लागू होंगे।

बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 की अन्य धाराएँ अस्थायी दत्तक ग्रहण के आदेश पर भी लागू करने का प्रावधान धारा 24 के उपधारा (3) के माध्यम से किया गया था। यदि विधेयक को कानून के रूप में लागू कर दिया जाता, तो इस प्रावधान का समग्र प्रभाव यह होता कि धारा 17 के अनुसार कोई भी संस्था या संगठन, जब तक कि उसे एक सामाजिक कल्याण संस्था के रूप में लाइसेंस न प्राप्त हो, भारतीय बच्चे को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। तथा धारा 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उस बच्चे की गोद लेने से संबंधित आवश्यक सहमति प्रदान करने, या उस बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा के हस्तांतरण के बदले में, या ऐसी गोद लेने की व्यवस्था करने के बदले में, कोई भी भुगतान या पुरस्कार देना या लेना गैरकानूनी होगा। इसके अलावा, धारा 8 के मद्देनज़र, किसी भारतीय बच्चे के संबंध में कोई भी अस्थायी गोद लेने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उस बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति न हो, और यदि वह बच्चा किसी संस्था के संरक्षण में है, तो संस्था द्वारा, प्रबंध में लगे सभी व्यक्तियों की सहमति के बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, यदि जिला न्यायालय संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति ने, जिसकी सहमति छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, बच्चे को परित्याग, उपेक्षा या लगातार बुरी तरह से व्यवहार किया है, या बिना उचित कारण के अपने माता-पिता या अभिभावक के कर्तव्यों का पालन करने में लगातार विफल रहा है, या वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या सहमति देने में असमर्थ है, या अनावश्यक रूप से सहमति रोक रहा है, तो जिला न्यायालय उस सहमति को छोड़ भी सकता है। जब जिला न्यायालय द्वारा किसी विदेश में निवास करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर अस्थायी गोद लेने का आदेश जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उस बच्चे की देखभाल एवं अभिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, और उस बच्चे को उस देश में, जहाँ वह निवास करता है, गोद लेने के उद्देश्य से ले जाने का अधिकार भी प्राप्त होगा। जब हम दिशा-निर्देश तैयार करेंगे तो बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 के इन प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा, जिनका पालन किसी भारतीय बच्चे को विदेशी माता-पिता को गोद देने की अनुमति देने में किया जाना चाहिए।बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 और बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 की प्रतियाँ प्रस्तुत करने के अलावा, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद ने दो सूचियाँ भी न्यायालय में दाखिल कीं: पहली सूची में उन विदेशी देशों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नाम और विवरण शामिल थे, जो अपने-अपने देशों में गोद लेने के लिए अन्य देशों से बच्चों को लाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में संलग्न थीं। दूसरी सूची

में भारत में स्थित संस्थानों और संगठनों के नाम और विवरण थे, जो भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल थे।

इसके बाद, यह रिट याचिका 9 नवंबर, 1982 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई, जब विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा सुनवाई में हस्तक्षेप करने के लिए कई आवेदन प्रस्तुत किए गए। चूंकि इस याचिका में उठाए गए प्रश्न राष्ट्रीय महत्व के थे, इसलिए न्यायालय ने यह उचित समझा कि जो भी वैध स्रोत इस मामले में सहायता प्रदान कर सकता है, उसे शामिल किया जाए। तदनुसार, 9 नवंबर, 1982 के आदेश द्वारा न्यायालय ने आठ विशिष्ट संस्थानों और संगठनों को शपथ-पत्र या बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी, ताकि भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने से संबंधित प्रासंगिक सामग्री न्यायालय के समक्ष रखी जा सके। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी शपथ-पत्र या बयान 27 नवंबर, 1982 तक दाखिल किए जाएं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य को भी रिट याचिका का नोटिस जारी कर उसे उसी तारीख को या उससे पहले अपना हलफनामा या बयान दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने तीस हजारी अदालतों के अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वे 1 अक्टूबर, 1982 से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान विदेशी माता-पिता को भारतीय बच्चों की देखभाल और अभिरक्षा सौंपने के लिए संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत दिए गए आदेशों के संबंध में रिट याचिका की अगली सुनवाई में तिमाही विवरणी पेश करें। चूंकि भारत संघ ने अभी तक अपना हलफनामा या बयान दायर नहीं किया था, जिसमें यह पता चले कि इस प्रश्न के संबंध में उसके द्वारा अपनाया गया रवैया क्या था, इसलिए न्यायालय ने भारत संघ को निर्देश दिया कि वह दूसरों के समान समय के भीतर अपना हलफनामा या बयान दायर करे। इसके बाद अदालत ने रिट याचिका की सुनवाई को 1 दिसंबर 1982 तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि उस समय तक रिकॉर्ड पूरा किया जा सके।

न्यायालय द्वारा दिए गए इन निर्देशों के अनुसार, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद, एनफैंट्स डू मोंडे, मिशनरी ऑफ चैरिटी, एनफैंट्स डी एल के एस्पायर, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन कुआन-यिन चैरिटेबल ट्रस्ट, टेरे डेस होम्स (इंडिया) सोसाइटी, महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद, विधिक सहायता सेवा पश्चिम बंगाल, एस. ओ. एस. चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया, भविष्य इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर भारत संघ की ओर से विभिन्न शपथ-पत्र और बयान प्रस्तुत किए गए। इन शपथ-पत्रों और बयानों में भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेने के प्रश्न से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गई, और न्यायालय के समक्ष विचारार्थ बहुमूल्य सुझाव एवं सिफारिशें रखी गईं। इन शपथ-पत्रों और बयानों के साथ-साथ विस्तृत मौखिक तर्क-वितर्क भी प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने न केवल कानूनी बल्कि

सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रश्न के हर पहलू का अन्वेषण किया। हम इस जांच में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिभागियों और उनके अधिवक्ताओं का वास्तव में आभारी हैं, जिन्होंने हमें भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने के संबंध में उन सिद्धांतों और मानकों का निर्माण करने में सहयोग दिया, जिनका पालन किया जाना चाहिए, और उस प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद की, ताकि अंतरराष्ट्रीय गोद लेने से बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, प्रताड़ना या शोषण की संभावना समाप्त हो जाए और उन्हें एक स्वस्थ, सम्मानजनक पारिवारिक जीवन प्राप्त हो सके।

यह स्पष्ट है कि एक सभ्य समाज में बाल कल्याण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि समुदाय का समग्र कल्याण, उसकी प्रगति और विकास पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई पर निर्भर करता है। बच्चे "राष्ट्र की सर्वोच्च संपत्ति" होते हैं, और देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चे कैसे बड़े होते हैं और विकसित होते हैं। महान कवि मिल्टन ने इस सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया है: "चाइल्ड शोज द मैन एज मॉर्निंग सोज द डे " (अर्थात्, जैसे सुबह दिन का संकेत देती है, वैसे ही एक बच्चा भविष्य के व्यक्ति का संकेत देता है।) इसी तरह, सामाजिक कल्याण पर अध्ययन दल ने भी इसी विचार को समर्थन दिया जब उन्होंने कहा: "राष्ट्र का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि प्रारंभिक चरणों में इसे किस प्रकार आकार दिया जाता है।" बच्चा एक आत्मा है, जिसका अपना अस्तित्व, स्वभाव और क्षमताएँ होती हैं, जिन्हें पहचानने, परिपक्वता तक विकसित करने, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने और अपनी भावनात्मक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सत्ता की अधिकतम ऊँचाई, गहराई और व्यापकता तक पहुँचने में सहायता की जानी चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो राष्ट्र का स्वस्थ विकास संभव नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि बच्चे विशेष सुरक्षा के पात्र होते हैं, क्योंकि उनकी कोमल आयु, नाजुक शारीरिक संरचना, मानसिक अपरिपक्वता और आत्मनिर्भर न होने की स्थिति उन्हें स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ बनाती है। यही कारण है कि विश्वभर में यह समझ बढ़ रही है कि बच्चों का पालन-पोषण प्रेम और स्नेह के वातावरण में किया जाना चाहिए, जहाँ वे माता-पिता की कोमल देखभाल और ध्यान के तहत बड़े हों। इससे वे भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान विकसित कर सकते हैं, और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसके साथ ही, वे अपनी भूमिका को पूरी तरह समझ और स्वीकार कर सकते हैं, जो उन्हें राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में निभानी है। यदि ऐसा न हो, तो राष्ट्र का विकास और वास्तविक समृद्धि अधूरी रह जाएगी, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग विकास प्रक्रिया से वंचित रह जाएगा। भारत में यह जागरूकता संविधान में निर्मित प्रावधानों में परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 15 के उपधारा (3) में राज्य को, अन्य प्रावधानों के साथ-साथ, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 24 में कहा गया है

कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के उपधारा (ई) और (एफ) में यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीति इस दिशा में निर्देशित करेगा कि, अन्य प्रावधानों के साथ, बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो, नागरिकों को आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसी नौकरियों में प्रविष्ट होने के लिए मजबूर न किया जाएं जो उनके आयु और ताकत के अनुकूल न हों, और बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, तथा बचपन और युवावस्था को शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए। ये संवैधानिक प्रावधान देश में बच्चों के हित और कल्याण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति संविधान निर्माताओं की गहरी चिंता को दर्शाते हैं। भारत सरकार ने भी इन संवैधानिक प्रावधानों के पालन में बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित की है। यह नीति एक लक्ष्य-उन्मुख प्रस्तावना से प्रारंभ होती है:

> "राष्ट्र के बच्चे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन-पोषण और देखभाल हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों के कार्यक्रमों को हमारे राष्ट्रीय योजनाओं में मानव संसाधनों के विकास के लिए एक प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ नागरिक बन सकें, और समाज द्वारा अपेक्षित कौशल और प्रेरणाओं से संपन्न हों। सभी बच्चों को उनके विकास की अवधि के दौरान समान अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के हमारे व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करेगा।"

राष्ट्रीय नीति उन उपायों को निर्धारित करती है जिन्हें भारत सरकार प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाने का प्रस्ताव करती है। इनमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो बच्चों को उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाने तथा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं, "ताकि बच्चों की विकास संबंधी पूर्ण क्षमताएँ सामान्य पारिवारिक, पड़ोस और सामुदायिक वातावरण में साकार हो सकें।" राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम निर्माण में प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करती है और अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। राष्ट्रीय नीति में एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है, और इस प्रावधान के तहत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का कार्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत विभिन्न सेवाओं की योजना, समीक्षा और समुचित समन्वय के लिए एक केंद्र प्रदान करना है और विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक

सेवाओं की सतत योजना, समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय नीति बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक कल्याण सेवाओं के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देती है और यह घोषित करती है कि राज्य का प्रयास होगा कि ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित और सशक्त किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों के कल्याण के लिए अत्यधिक चिंता रही है, जिसका परिणाम 20 नवंबर, 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई "बाल अधिकारों की घोषणा" के रूप में निकला। इस घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि "बच्चे को, उसकी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण, जन्म से पहले और बाद दोनों ही समय पर, उचित कानूनी सुरक्षा सहित विशेष सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है" और यह भी कहा गया है कि "मानवता का कर्तव्य है कि वह बच्चे को वह सर्वश्रेष्ठ दे, जो उसके लिए संभव हो"। घोषणा में कई सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जिनमें से निम्नलिखित हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं:

> सिद्धांत **2:** बच्चे को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उसे कानून तथा अन्य माध्यमों से ऐसे अवसर और सुविधाएँ दी जाएंगी, जिससे वह शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ एवं सामान्य तरीके से विकास कर सके और स्वतंत्रता तथा गरिमा की स्थिति में रह सके। इस उद्देश्य के लिए कानून बनाने में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि माना जाएगा।
>
> सिद्धांत **3:** बच्चे को उसके जन्म से ही एक नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होगा।
>
> सिद्धांत **6:** बच्चे के पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेम और समझ आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो, उसे अपने माता-पिता की देखरेख और जिम्मेदारी के तहत ही बड़ा होना चाहिए और हर हाल में एक स्नेहमयी, नैतिक और भौतिक सुरक्षा वाले वातावरण में रहना चाहिए। किसी छोटे बच्चे को, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उसकी माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए। समाज और सार्वजनिक प्राधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करें जिनके पास परिवार नहीं है या जो पर्याप्त साधनों से वंचित हैं। बड़े परिवारों के बच्चों के भरण-पोषण के लिए राज्य और अन्य सहायता का प्रावधान वांछनीय है।

> सिद्धांत **9:** बच्चे को हर प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाया जाएगा। किसी भी रूप में, उसे मानव तस्करी का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा।
>
> सिद्धांत **10:** बच्चे को उन प्रथाओं से सुरक्षित रखा जाएगा जो नस्लीय, धार्मिक या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा दे सकती हैं। उसे समझ, सहिष्णुता, लोगों के बीच मित्रता, शांति और वैश्विक भाईचारे की भावना के साथ पाला जाएगा, ताकि वह यह पूर्ण रूप से समझ सके कि उसकी ऊर्जा और प्रतिभा को उसके साथियों और समाज की सेवा में लगाया जाना चाहिए।

प्रत्येक बच्चे को प्रेम करने और प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है, साथ ही प्रेम, स्नेह और नैतिक व भौतिक सुरक्षा के वातावरण में बड़े होने का भी अधिकार है। यह तभी संभव है जब बच्चे का पालन-पोषण एक परिवार में किया जाए। सबसे अनुकूल वातावरण, स्वाभाविक रूप से, उसके जैविक माता-पिता के परिवार का ही होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश जैविक माता-पिता या अन्य निकट संबंधी बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों, या बच्चा परित्यक्त हो और उसके माता-पिता को खोज पाना संभव न हो, या माता-पिता स्वयं बच्चे की देखभाल करने के इच्छुक न हों, तो अगला सर्वोत्तम विकल्प यह होगा कि बच्चे के लिए दत्तक माता-पिता खोजे जाएं, ताकि वह उनके स्नेहपूर्ण देखभाल और ध्यान के साथ बड़ा हो सके। दत्तक माता-पिता जैविक माता-पिता का सर्वोत्तम विकल्प होंगे। हिंदू समाज में गोद लेने की प्रथा सदियों से प्रचलित रही है और इसे हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन कई अन्य देशों में यह प्रथा अपेक्षाकृत हाल की है, जबकि मुस्लिम देशों में यह पूरी तरह से अज्ञात है। हिंदुओं में, केवल प्राचीन हिंदू कानून ही गोद लेने की प्रथा को मान्यता नहीं देता, बल्कि इसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत विधायी रूप से भी मान्यता दी गई है। 1972 का दत्तक ग्रहण विधेयक सभी समुदायों के लिए एक समान दत्तक ग्रहण कानून प्रदान करने का प्रयास करता था, जिसमें मुसलमान समुदाय भी शामिल था, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुसलमान समुदाय के कड़े विरोध के कारण इसे खारिज कर दिया गया। 1980 का दत्तक ग्रहण विधेयक वर्तमान में संसद में लंबित है और यदि इसे पारित कर दिया जाता है, तो यह भारत के सभी समुदायों के लिए एक समान दत्तक ग्रहण कानून प्रदान करेगा, लेकिन मुसलमान समुदाय को छोड़कर। जब किसी बच्चे के माता-पिता उसे गोद देने की इच्छा रखते हैं, या बच्चा परित्यक्त हो जाता है और उसके सर्वोत्तम हित में उसे गोद देना आवश्यक माना जाता है, तो सबसे पहले देश के भीतर ही उसके लिए दत्तक माता-पिता खोजने के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के दत्तक माता-पिता के परिवार में समायोजन से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है, जो कि विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने की स्थिति में सांस्कृतिक, नस्लीय या भाषाई

भिन्नताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। यदि देश के भीतर बच्चे के लिए उपयुक्त दत्तक माता-पिता नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसा आवश्यक हो सकता है कि बच्चे को विदेशी माता-पिता को दत्तक दिया जाए, बजाय इसके कि बच्चे को अनाथालय या किसी ऐसे संस्थान में बढ़ने दिया जाए जहाँ उसे परिवारिक जीवन, माता-पिता का प्रेम और स्नेह न मिले। अक्सर देश की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसे निराश्रित, आधे कपड़े वाले, आधे भूखे, और कुपोषण तथा बीमारी से जूझते हुए जीवन जीना पड़ सकता है। पॉल हैरिसन, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष सचिवालय सहित कई संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के लिए कार्य करते हैं, यह बताते हैं कि अधिकांश तीसरी दुनिया के देश के बच्चे पीड़ित होते हैं "क्योंकि उनके देश में विकास के लिए संसाधनों की कमी होती है, साथ ही उपलब्ध संसाधनों के वितरण में गंभीर असमानताएँ होती हैं" और वे पूर्ण भौतिक अभाव की स्थिति का सामना करते हैं। वह आगे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चों के लिए "उनके माता-पिता की गरीबी और अशिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक कम या न के बराबर पहुंच, उनके पूर्ण मानवीय क्षमता के विकास को बाधित करती है, जिससे उनके अशिक्षित, अकुशल और गैर-उत्पादक बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।" उनका जीवन कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और भूख, अशुद्ध पानी तथा खराब स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों से प्रभावित होता है। पॉल हैरिसन ने तीसरी दुनिया के बच्चों के बारे में जो कहा है, वह भारत के बच्चों पर भी पूरी तरह लागू होता है। यदि भारत में इन बच्चों को एक सम्मानजनक पारिवारिक जीवन उपलब्ध कराना संभव नहीं है, जहाँ वे माता-पिता के स्नेह और देखभाल में बड़े हो सकें और पोषणयुक्त भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का आनंद ले सकें, साथ ही नैतिक और भौतिक स्थिरता व सुरक्षा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, तो कोई कारण नहीं कि ऐसे बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद दिए जाने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार का दत्तक ग्रहण हमारी राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप होगा, क्योंकि यह उन बच्चों को, जो अन्यथा निराश्रित, उपेक्षित या परित्यक्त हैं, एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगा—ऐसा जीवन जो गरीबी, अज्ञानता, कुपोषण और स्वच्छता की कमी से उत्पन्न अभाव और कष्टों से मुक्त हो, जहाँ वे उपेक्षा और शोषण से बचकर अपनी "पूर्ण विकास क्षमता" को साकार कर सकें। लेकिन, जैसा कि हमने पहले कहा, सबसे पहले हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे का पुनर्वास देश के भीतर गोद लिए जाने के माध्यम से हो। यदि यह संभव न हो, तभी विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लेना, जिसे कभी-कभी 'अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण' कहा जाता है, स्वीकार्य होना चाहिए। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में नस्लीय, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अंतर हो सकते हैं, जो देश के भीतर गोद लिए जाने की स्थिति में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए, हमेशा पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि बच्चे के लिए देश के भीतर ही उपयुक्त दत्तक माता-पिता खोजे जाएं। वास्तव में, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से

संबंधित प्रक्रियाओं के मसौदा दिशानिर्देश, जो 1981 में बॉम्बे में आयोजित एशिया और पश्चिमी प्रशांत की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण परिषद की क्षेत्रीय सम्मेलन में तैयार किए गए थे और 4 सितंबर, 1982 को ब्राइटन, यू.के. में आयोजित कार्यशाला में अनुमोदित किए गए थे, इस सिद्धांत की वैधता को मान्यता देते हैं। इन दिशानिर्देशों के धारा 3.1 में यह प्रावधान किया गया है: "किसी भी बच्चे को विदेशी द्वारा गोद लिए जाने की योजना पर विचार करने से पहले, उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को बच्चे के अपने देश के भीतर स्थायी पारिवारिक देखभाल के सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए।" हालाँकि, यदि बच्चे के लिए देश के भीतर उपयुक्त दत्तक परिवार खोजना संभव नहीं है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि विदेश में एक दत्तक परिवार उसे घर और परिवार का प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करे। भारत सरकार ने भी सामाजिक कल्याण मंत्रालय में कार्यक्रम अधिकारी, सुश्री बी. सेन्नापति द्वारा दायर हलफनामे में भारतीय बच्चों के लिए अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को स्वीकार करने का संकेत दिया है। इसके अलावा, 4 सितंबर, 1982 को ब्राइटन, यू.के. में आयोजित "अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कार्यशाला" की कार्यवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, ने इस कार्यशाला में भाग लेते हुए यह पुष्टि की कि "भारतीय सरकार उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का समर्थन करती है, जो विदेश में गोद लिए जाने वाले बच्चों के कल्याण और हितों की रक्षा के उपायों को बढ़ावा दे रहे हैं।"

लेकिन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का समर्थन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे को दत्तक देने का मुख्य उद्देश्य उसके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसलिए, विदेशी माता-पिता को बच्चे को दत्तक देने की अनुमति देते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि न तो बच्चे की विदेशी माता-पिता द्वारा उपेक्षा या परित्याग हो, न ही वे बच्चे को नैतिक या भौतिक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हों। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का नैतिक या यौन शोषण, जबरन मजदूरी या चिकित्सा अथवा अन्य अनुसंधान के लिए प्रयोग न किया जाए, जिससे वह अपने देश की तुलना में किसी भी दृष्टि से बदतर स्थिति में न आ जाए। आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा सामाजिक विकास आयोग ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के तहत दिए गए बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सामाजिक और कानूनी सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ने संकल्प 1925 (LVIII) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया कि वह परिवार और बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों के एक समूह का गठन करें, जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होगा:

> "(a) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के दत्तक ग्रहण और पालक-स्थानांतरण से संबंधित सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों की एक प्रारूप घोषणा तैयार करना, तथा महासचिव की विवरणी में शामिल सिफारिशों और

दिशानिर्देशों का तथा सरकारों द्वारा पहले से ही महासचिव और क्षेत्रीय आयोगों को उपलब्ध कराए गए संबंधित सामग्री का समीक्षा एवं मूल्यांकन करना,

(b) उपरोक्त सिद्धांतों के कार्यान्वयन में सरकारों द्वारा उपयोग हेतु दिशानिर्देश तैयार करना, साथ ही उनके सामाजिक विकास—जिसमें परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं—के संदर्भ में प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सुझाव देना।"

इसके निर्देशानुसार, दिसंबर 1978 में जिनेवा में एक विशेषज्ञ समूह की बैठक बुलाई गई, और इस विशेषज्ञ समूह ने "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के संरक्षण और कल्याण, विशेष रूप से पालक-स्थानांतरण और दत्तक ग्रहण से संबंधित सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों पर मसौदा घोषणा" को अपनाया। सामाजिक विकास आयोग ने अपनी 26वीं बैठक में इस मसौदा घोषणा पर विचार किया और इसकी सामग्री से सहमति व्यक्त की, तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भी इस मसौदा घोषणा को मंजूरी देते हुए महासभा से अनुरोध किया कि इसे उपयुक्त रूप से विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाए। उपस्थित पक्षों में से किसी ने यह जानकारी नहीं दी कि महासभा द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। हालांकि, यह मसौदा घोषणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह उन सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन्हें अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अवश्य माना जाना चाहिए। मसौदा घोषणा में वर्णित कुछ प्रासंगिक सिद्धांतों को विशेष लाभ के साथ उल्लेख किया जा सकता है:

अनुच्छेद 2. के अनुसार यह मान्यता दी जाती है कि सर्वोत्तम बाल कल्याण, उत्तम पारिवारिक कल्याण में निहित है,

4. जब जैविक परिवार की देखभाल उपलब्ध नहीं हो या उपयुक्त न हो, तो वैकल्पिक पारिवारिक देखभाल पर विचार किया जाना चाहिए,

7. प्रत्येक बच्चे को परिवार का अधिकार है। जिन बच्चों को अपने जैविक परिवार के साथ नहीं रखा जा सकता, उन्हें संस्थानों में भेजने के बजाय पालक परिवार या दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवारिक देखभाल दी जानी चाहिए, जब तक कि बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति किसी विशिष्ट संस्थान में अधिक उपयुक्त न हो।

8. जिन बच्चों के लिए पहले संस्थागत देखभाल ही एकमात्र विकल्प मानी जाती थी, उन्हें अब पालक परिवारों या दत्तक परिवारों में रखा जाना चाहिए।

12. दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य उस बच्चे को एक स्थायी परिवार प्रदान करना है, जिसकी देखभाल उसके जैविक परिवार द्वारा नहीं की जा सकती।

14. संभावित दत्तक ग्रहण व्यवस्था पर विचार करते समय, बच्चे की देखभाल के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उस विशेष बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण का चयन करना चाहिए।

15. जैविक माता-पिता को पर्याप्त समय और उचित परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चे के भविष्य के बारे में निर्णय ले सकें। साथ ही, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह निर्णय यथाशीघ्र लिया जाना आवश्यक है।

16. कानून और सेवाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दत्तक लिया गया बच्चा अपने दत्तक परिवार का अभिन्न अंग बने।

17. वयस्क दत्तक संतानों की अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता को मान्यता दी जानी चाहिए।

19. सरकारों को अपने देश में बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना चाहिए और उन बच्चों की पहचान करनी चाहिए जिनकी आवश्यकताएँ मौजूदा सेवाओं से पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे कुछ बच्चों के लिए, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को एक उपयुक्त विकल्प के रूप में माना जा सकता है ताकि उन्हें एक स्थायी परिवार मिल सके।

21. प्रत्येक देश में, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया केवल अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से ही की जानी चाहिए, जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण सेवाओं को संभालने में सक्षम हों और जो राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की तरह ही समान सुरक्षा उपायों और मानकों को लागू करें।

22. बच्चे की कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर, प्रॉक्सी दत्तक ग्रहण स्वीकार्य नहीं है।

23. जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध है और दत्तक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज मौजूद हैं, तब तक किसी भी दत्तक ग्रहण योजना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी आवश्यक सहमति दोनों देशों में कानूनी रूप से वैध प्रारूप में होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि बच्चा दत्तक माता-पिता के देश में प्रवास कर सकता है और बाद में उनकी राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकता है।

24. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में, संबंधित सभी देशों में दत्तक ग्रहण की कानूनी मान्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

25. बच्चे के पास हर समय एक नाम, राष्ट्रीयता और कानूनी अभिभावक होना चाहिए।"

इसके पश्चात, 1981 में बॉम्बे में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा आयोजित एशिया और पश्चिमी प्रशांत का क्षेत्रीय सम्मेलन में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया, और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन्हें 4 सितंबर, 1982 को यू. के. के ब्राइटन में आयोजित कार्यशाला में अनुमोदित किया गया। ये दिशानिर्देश प्रारूप घोषणा पर आधारित हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बॉम्बे में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन और ब्राइटन, यू. के. में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के लगभग सर्वसम्मत विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे कई दिशा-निर्देश हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हम गंभीरता से विचार करने के योग्य हैः-

1.4: सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण व्यवस्थाओं में, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए।

जैविक माता पिताः

2.2. जब जैविक माता-पिता ज्ञात हों, तो उन्हें बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पेशेवर रूप से योग्य कर्मचारियों (या ऐसे अनुभवी कर्मियों, जिन्हें ऐसे योग्य कर्मचारियों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता हो) द्वारा सामाजिक कार्य सेवाओं की पेशकश की जाएगी।

2.3. ये सेवाएं माता-पिता की सहायता करेंगी ताकि वे बच्चे के भविष्य के सभी विकल्पों पर विचार कर सकें। दत्तक ग्रहण के संबंध में निर्णय लेते समय माता-पिता पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चे के जन्म से पहले किसी भी दत्तक ग्रहण योजना के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमति नहीं होगी। माता-पिता को दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे को देने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उचित समय देने के पश्चात्, वह निर्णय अपरिवर्तनीय मान लिया जाएगा।

2.5. यदि माता-पिता यह निर्णय लेते हैं कि वे बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए छोड़ दें, तो उन्हें सभी निहितार्थों को समझने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें विदेशी द्वारा दत्तक ग्रहण की संभावना और बच्चे के साथ आगे किसी भी प्रकार के संपर्क की अनुपस्थिति शामिल है।

2.6. जहाँ संभव हो, माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चे की पार्श्वभूमि, विकास, और अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करें।

2.8. यह उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था की जिम्मेदारी है कि जब माता-पिता बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए छोड़ दें, तब सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो।

2.9. यदि माता-पिता बच्चे के धार्मिक पालन-पोषण के लिए कोई विशेष प्राथमिकता रखते हैं, तो जहाँ तक संभव हो, उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाएगा।

2.10. यदि माता-पिता ज्ञात नहीं हैं, तो उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था, जिसके संरक्षण में बच्चा रखा गया है, को माता-पिता का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और उपरोक्त सेवाओं के प्रदान किए जाने की पुष्टि करनी चाहिए, इससे पहले कि बच्चे के दत्तक ग्रहण से संबंधित कोई भी कार्रवाई की जाए।

बच्चा:

3.1. किसी भी बच्चे को विदेशी द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विचार करने से पहले, उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को बच्चे के अपने देश में स्थायी पारिवारिक देखभाल के सभी विकल्पों पर विचार करेगी।

3.2.किसी उपयुक्त प्राधिकारी या अभिकरण के पेशेवर कर्मचारियों (या ऐसे योग्य श्रमिकों द्वारा पर्यवेक्षित अनुभवी कर्मियों) द्वारा एक बाल-अध्ययन विवरणी तैयार की जाएगी, जो ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो बच्चे के लिए संभावित गोद लेने वालों के चयन के लिए एक आधार बनाएगी, बच्चे को उचित समय पर अपने मूल परिवार के बारे में जानने की आवश्यकता में सहायता करेगी, और गोद लेने वाले माता-पिता को बच्चे को समझने और उसके बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी।

3.3 जहाँ तक संभव हो, बाल-अध्ययन विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगेः

3.3.1. पहचान संबंधी जानकारी, जहाँ संभव हो, दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित।

3.3.2. जैविक माता-पिता की जानकारी, जिसमें उनका स्वास्थ्य और माँ की गर्भावस्था एवं जन्म से संबंधित विवरण शामिल हो।

3.3.3. शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास की स्थिति।

3.3.4. स्वास्थ्य रिपोर्ट।

3.3.5. हाल ही का फ़ोटो।

3.3.6. वर्तमान परिवेश—देखभाल की श्रेणी (स्वयं का घर, पालक गृह, संस्था आदि), संबंध, दिनचर्या और आदतें।

3.3.7. सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की सिफारिश के कारण।

3.4. भाई-बहनों और अन्य बच्चों, जिन्हें भाई-बहन की तरह पाला गया है, को दत्तक ग्रहण के कारण अलग नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष कारण न हो।3.5. जब किसी दत्तक ग्रहण निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो बच्चे की आयु और विकास स्तर के अनुसार, उसे तैयार करने के लिए पर्याप्त समय और प्रयास दिया जाना चाहिए। बच्चे को उसके नए देश और नए घर के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और एक कुशल कार्यकर्ता द्वारा परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।3.5 (a). किसी भी दत्तक ग्रहण निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले, संबंधित बच्चे से उसकी आयु और विकास स्तर के अनुसार परामर्श किया जाना चाहिए।

3.6. जब बड़े बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए रखा जाता है, तो दत्तक माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चे के मूल देश में आएं, वहाँ उससे मिलें, उसके पहले परिवेश के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानें और उसे उसके नए घर तक साथ ले जाएँ।

दत्तक माता-पिता:

4.3. दत्तक माता-पिता बनने की सामान्य योग्यता के अलावा, आवेदकों में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से जुड़े अंतर-जातीय, अंतर-सांस्कृतिक और अंतर-राष्ट्रीय पहलुओं को संभालने की क्षमता होनी चाहिए।

4.4. एक पारिवारिक अध्ययन विवरणी एक पेशेवर कार्यकर्ता (या ऐसे अनुभवी कर्मी जो योग्य कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यवेक्षित हों) द्वारा तैयार की जानी चाहिए, जो यह दर्शाए कि आवेदकों को संभावित दत्तक माता-पिता के रूप में किस आधार पर

स्वीकार किया गया। इसमें यह मूल्यांकन शामिल होना चाहिए कि माता-पिता किसी विशेष प्रकार के बच्चे की परवरिश करने में कितने सक्षम हैं और अन्य प्राधिकरणों, जैसे कि न्यायालयों, के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

4.5. परिवार अध्ययन पर रिपोर्ट, जिसे आवेदकों के निवास स्थान पर तैयार किया जाना चाहिए, में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

4.5.1. माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान संबंधी जानकारी, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ भी शामिल हों।

4.5.2. संभावित दत्तक माता-पिता की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएँ, और उनके दत्तक ग्रहण के प्रति प्रेरणा।

4.5.3. उनके पारिवारिक, रिश्तेदारी, मित्रता और सामुदायिक संबंध।

4.5.4. स्वास्थ्य की स्थिति।

4.5.5. आवास और वित्तीय स्थिति।

4.5.6. रोजगार और अन्य रुचियाँ।

4.5.7. धार्मिक संबद्धता और/या दृष्टिकोण।

4.5.8. दत्तक माता-पिता बनने की क्षमता, और वांछित बच्चे का विवरण (आयु, लिंग, विकलांगता की सीमा)।

4.5.9. रिश्तेदारों, दोस्तों और समुदाय से मिलने वाला सहयोग।

4.5.10. सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन और दत्तक ग्रहण प्राधिकरण की स्वीकृति का विवरण।

4.5.11. परिवार का हालिया फ़ोटो।

दत्तक ग्रहण प्राधिकरण और संस्थाओं:

5.1. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की व्यवस्था केवल उन सरकारी दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों (या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं) के माध्यम से की जानी चाहिए जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों देशों में हों। इन्हें पेशेवर सामाजिक कार्य

शिक्षा प्राप्त अनुभवी कर्मचारियों या ऐसे अनुभवी कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें योग्य कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता हो।

5.2. बच्चे के देश में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को सभी प्रस्तावित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि देश के भीतर सभी विकल्पों पर विचार किया गया है तथा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे की देखभाल के लिए सर्वोत्तम विकल्प है।

5.3. किसी भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण योजना पर विचार करने से पहले, बच्चे के देश में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए कि बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध है और आवश्यक दस्तावेज दोनों देशों में कानूनी रूप से वैध हैं।

5.4. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के आवेदकों की स्वीकृति दोनों देशों (भेजने वाले और प्राप्त करने वाले) के उपयुक्त प्राधिकरणों या संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। किसी देश से बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन तब तक विचाराधीन नहीं होगा जब तक कि यह प्राप्त करने वाले देश के उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था के माध्यम से अग्रेषित न किया गया हो।

5.5. दोनों देशों में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में शामिल लागत की प्रतिपूर्ति की निगरानी करनी चाहिए ताकि मुनाफाखोरी और बच्चों की तस्करी को रोका जा सके।

5.6.XX XX XX XX

5.7. जब कोई बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए दूसरे देश जाता है, तो प्राप्तकर्ता देश का उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था उस बच्चे की निगरानी की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा और सहमत अवधि के लिए प्रगति विवरणी भेजने के लिए प्रेषक देश के दत्तक ग्रहण प्राधिकरण या संस्था को प्रदान करेगा।

5.8. यदि दत्तक ग्रहण आदेश प्रेषक देश में अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाना है, तो प्राप्तकर्ता देश में दत्तक ग्रहण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दत्तक ग्रहण आदेश यथाशीघ्र, लेकिन नियुक्ति के 2 वर्षों के भीतर, प्राप्त कर लिया जाए। जब दत्तक ग्रहण आदेश पारित किया जाता है, तो यह प्राप्तकर्ता देश की

उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी जानकारी प्रेषक देश की उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को दे।

5.8.1. यदि दत्तक ग्रहण आदेश को नियुक्ति के बाद प्रेषक देश में अंतिम रूप दिया जाना है, तो यह दोनों देशों की उपयुक्त प्राधिकरण या संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे इसे यथाशीघ्र पूरा करें।

5.9. यदि दत्तक ग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही दत्तक नियुक्ति बाधित हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता देश में दत्तक ग्रहण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रेषक देश में दत्तक ग्रहण प्राधिकरण की सहमति से, एक उपयुक्त वैकल्पिक नियुक्ति की जाए। यह नियुक्ति ऐसे संभावित दत्तक माता-पिता के साथ की जानी चाहिए, जो दोनों देशों के दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित हों।

दत्तक ग्रहण सेवाएँ और समुदाय

6.1. प्राप्तकर्ता देशों में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेषक देशों में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्थाओं को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के सामान्य मामलों तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत बच्चों के मामलों में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो।

6.2. XX XX XX XX

6.3. प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों देशों में उपयुक्त प्राधिकरण और संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित जन शिक्षा प्रदान करें, ताकि जब ऐसा दत्तक ग्रहण बच्चों के लिए उपयुक्त हो, तो सार्वजनिक दृष्टिकोण इसका समर्थन करे। जहाँ सार्वजनिक दृष्टिकोण नस्ल या रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होने की संभावना हो, तो प्रेषक देश के उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को बच्चे की नियुक्ति पर विचार नहीं करना चाहिए।

बच्चे की स्थिति:

7.1. परिवार:

यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में बच्चे को वही कानूनी दर्जा और विरासत के अधिकार प्रदान किए जाएँ, जैसे कि वह दत्तक माता-पिता के विवाह में जन्मा हो।

7.2. नाम:

जब कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र के समकक्ष एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

7.3. राष्ट्रीयता:

जब कानूनी दत्तक ग्रहण संपन्न हो जाता है, तो बच्चे को उपयुक्त नागरिकता प्रदान की जाएगी।

7.4. XX XX XX XX

7.5. आप्रवासन:

किसी विशेष संभावित दत्तक माता-पिता के साथ अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण का प्रस्ताव रखने से पहले, बच्चे के देश में उपयुक्त प्राधिकरण या संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे के संभावित दत्तक माता-पिता के देश में प्रवेश करने में कोई बाधा न हो और यात्रा दस्तावेज़ उचित समय पर प्राप्त किए जा सकें।

जब हम अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों और मानदंडों पर विचार करेंगे और उन्हें स्थापित करेंगे, तब हम प्रारूप घोषणा के इन प्रावधानों और प्रक्रिया के दिशानिर्देशों की समीक्षा करेंगे।

अब इस चरण में, यह सुविधाजनक होगा कि हम उस प्रक्रिया को स्पष्ट करें जो वर्तमान में विदेशी माता-पिता को बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए अपनाई जा रही है। चूंकि हमारे देश में किसी भी कानूनी अधिनियम द्वारा विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है या ऐसी स्थिति में पालन किए जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। यह अधिनियम एक पुराना क़ानून है, जिसे किसी नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति के अभिभावक की नियुक्ति के उद्देश्य से बनाया गया था। धारा 4 उपधारा (5)(a) में "न्यायालय" को इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अभिभावक

नियुक्त करने या घोषित करने के लिए आवेदन स्वीकार करने वाले ज़िला न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 4 की उपधारा (4) में "ज़िला न्यायालय" को दिवानी प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट अर्थ प्रदान किया गया है, और इसमें वह उच्च न्यायालय भी शामिल है जो अपनी साधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो। धारा 7 उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि अदालत यह समझती है कि नाबालिग के कल्याण के लिए उसके व्यक्ति या संपत्ति के अभिभावक (या दोनों) की नियुक्ति हेतु आदेश देना उचित है या किसी व्यक्ति को ऐसा अभिभावक घोषित करना आवश्यक है, तो अदालत तदनुसार आदेश दे सकती है। और धारा 8 के अनुसार, ऐसा आदेश केवल उन चार व्यक्तियों में से किसी एक के आवेदन पर ही दिया जा सकता है, जिनका उल्लेख उपखंड (a) से (d) में किया गया है, जिनमें से एक है "नाबालिग का अभिभावक बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति" और दूसरा है "नाबालिग का कोई भी रिश्तेदार या मित्र"। धारा 9 की उपधारा (1) में यह घोषित किया गया है कि यदि 'आवेदन' नाबालिग के व्यक्ति के अभिभावकत्व के संबंध में है — और यह वह प्रकार का आवेदन है जिसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है — तो यह उस जिला अदालत में किया जाना चाहिए जिसके पास उस स्थान का अधिकार क्षेत्र हो जहाँ नाबालिग सामान्यतः रहता है। फिर धारा 11, उपधारा (1) आती है, जो निर्धारित करती है कि यदि अदालत यह मानती है कि आवेदन पर कार्यवाही करने का कोई आधार है, तो वह उस आवेदन की सुनवाई के लिए एक तिथि तय करेगी। साथ ही, अदालत यह व्यवस्था करेगी कि आवेदन और सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना नाबालिग के उन माता-पिता को दी जाए, यदि वे उस राज्य में निवास करते हैं जहाँ यह अधिनियम लागू होता है; उस व्यक्ति को भी जिसकी याचिका में नाबालिग के संरक्षण या स्वामित्व के रूप में नामकरण किया गया हो; आवेदन में अभिभावक नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को; और अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे अदालत की राय में आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए। धारा 17 यह प्रावधान करती है कि नाबालिग के अभिभावक की नियुक्ति करते समय, अदालत को उस कानून के अनुरूप मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसके अधीन नाबालिग आता है, और ऐसे परिदृश्य में जो नाबालिग के कल्याण के लिए उचित प्रतीत होता हो। नाबालिग के कल्याण के विचार में, अदालत को निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना चाहिए: नाबालिग की आयु, लिंग, और धर्म, प्रस्तावित अभिभावक का चरित्र और क्षमता, प्रस्तावित अभिभावक का नाबालिग के साथ नजदीकी संबंध, यदि कोई है, तो दिवंगत माता-पिता की इच्छाएँ, और प्रस्तावित अभिभावक का नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ मौजूदा या पूर्व संबंध। अंतिम महत्वपूर्ण अनुभाग धारा 26 है, जो यह प्रावधान करती है कि अदालत द्वारा नियुक्त नाबालिग के अभिभावक, जिस अदालत के द्वारा उसे नियुक्त किया गया है, की अनुमति के बिना (सिवाय उन उद्देश्यों के लिए जो निर्धारित किए गए हों) नाबालिग को उस न्यायक्षेत्र की सीमाओं से बाहर नहीं ले जा सकता। अदालत द्वारा दी गई अनुमति विशेष या सामान्य हो सकती है। ये लिए

अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रासंगिक प्रावधान हैं, जिनका संबंध वर्तमान में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को संपन्न करने की प्रक्रिया से है। विदेशी माता-पिता उस बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए अदालत में आवेदन करते हैं, जिसे वे दत्तक ग्रहण के रूप में लेना चाहते हैं, तथा अदालत से यह अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं कि नियुक्ति के पश्चात वे बच्चे को अपने देश ले जा सकें। न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा करने की प्रक्रिया को देश के तीन उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चे के हितों की सुरक्षा और उसके कल्याण की रक्षा करना है। लेकिन जहां तक अन्य उच्च न्यायालयों की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। चूंकि महाराष्ट्र राज्य में विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु किए गए अधिकांश आवेदन बॉम्बे के उच्च न्यायालय मूल अधिकारिता में किए जाते हैं, इसी कारण उस उच्च न्यायालय ने 10 मई 1972 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय मूल अधिकारिता 1957 के नियमों के अध्याय XX में नियम 361-B को शामिल किया गया है। इस नए जोड़े गए नियम में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

> जब कोई विदेशी नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति का अभिभावक नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन करता है, तो प्रोटोनेटरी और सीनियर मास्टर भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद के सचिव को एक पत्र भेजेंगे, जिसमें आवेदन की प्रस्तुति और सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि की सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही, सचिव को सूचित किया जाएगा कि इस मामले में भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा यदि कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उसे आदेश पारित करने से पहले अदालत द्वारा विचार किया जाएगा। प्रोटोनेटरी और सीनियर मास्टर द्वारा भेजे गए पत्र के साथ आवेदन की एक प्रति भी भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद के सचिव को प्रेषित की जाएगी।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी अधीनस्थ अदालतों को इसी दिशा में निर्देश जारी किए हैं, और ये निर्देश निम्नलिखित हैं:

> (i) यदि कोई विदेशी व्यक्ति, जो नाबालिग के व्यक्ति के अभिभावक नियुक्त होने की इच्छा रखता है और नाबालिग को विदेशी देश ले जाने के लिए अनुमति चाहता है, अभिभावक एवं वाड्र्स अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा, तो उसके साथ नाबालिग की पासपोर्ट आकार की तीन फोटो की प्रतियाँ संलग्न की जाएँगी, जिन्हें उस समय नाबालिग के संरक्षण में मौजूद व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(ii) यदि अदालत यह सुनिश्चित कर लेती है कि आवेदन पर कार्यवाही के लिए कोई आधार नहीं है, तो वह सुनवाई के लिए एक दिन तय करेगी और उस व्यक्ति के साथ-साथ, जैसा कि धारा 11, गार्जियन्स एंड वाड्र्स एक्ट, 1890 में वर्णित है, आवेदन तथा सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना सामान्य जनता और भारतीय बाल कल्याण परिषद के सचिव को भी जारी करेगी तथा उनके अभिवेदन पर विचार करेगी।

(iii) नाबालिग के व्यक्ति के अभिभावक नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, न्यायालय के निर्देशानुसार और निश्चित की गई राशि में, गारंटी (सिक्योरिटी) के साथ या बिना, एक बांध-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यह बांध-पत्र नाबालिग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि यदि न्यायालय द्वारा आवश्यकता होने पर बच्चे को न्यायालय में पेश कराया जा सके।

(iv) जब अदालत एक भारतीय नाबालिग के व्यक्ति के विदेशी अभिभावक की नियुक्ति का आदेश देती है, तो नाबालिग की फ़ोटो की एक प्रति अदालत द्वारा काउंटर-साइन की जाएगी और न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए अभिभावक या संयुक्त अभिभावक (जैसा मामला हो) को अभिभावक प्रमाणपत्र के साथ जारी की जाएगी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों की तरह इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाया है, लेकिन 1982 में रसिकलाल छगनलाल मेहता के मामले में दिए गए एक फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

"इस उपरोक्त पृष्ठभूमि और ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के प्रकाश में, ताकि अदालतें अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले को संतोषजनक रूप से निपटा सकें, हम कुछ निर्देश देना आवश्यक मानते हैं। ऐसे सभी मामलों में, अदालत को भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद (175, दादाभाई नरोजी रोड, बॉम्बे- 400001) को नोटिस जारी करना चाहिए और उनकी सहायता मांगनी चाहिए। यदि भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद की इच्छा हो, तो उसे कार्यवाही में पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यदि भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद उपस्थित नहीं होती है, या किसी कारणवश सहायता प्रदान करने में असमर्थ होती है, तो न्यायालय को उस क्षेत्र में कार्यरत एक स्वतंत्र, प्रतिष्ठित और सार्वजनिक/आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्था को

नोटिस जारी करना चाहिए और उनसे मामले में सहायता प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए।"

भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद, भारतीय बाल कल्याण परिषद या किसी अन्य स्वतंत्र, प्रतिष्ठित तथा सार्वजनिक/आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्था को नोटिस देने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के अभिभावकत्व के लिए किया गया आवेदन—जिसका अंतिम उद्देश्य दत्तक ग्रहण है—का सही और सावधानीपूर्वक परीक्षण तथा मूल्यांकन एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाए, जिसके पास बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव हो। इसका उद्देश्य अदालत की सहायता करना है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण में लेने का आवेदन बच्चे के हित में, उसके कल्याण को बढ़ावा देने वाला है। दूसरे शब्दों में, यह देखा जाए कि ऐसा दत्तक ग्रहण बच्चे को नैतिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं, तथा क्या यह उसे एक ऐसे परिवार के प्यार, स्नेह से भरपूर वातावरण में अपनी पूरी शख्सियत में विकसित होने का अवसर देता है। हमारी राय में, बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित यह प्रक्रिया अत्यंत वांछनीय है और यह बच्चे के अनुचित या अवांछनीय माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किए जाने या ऐसे परिवार में रखे जाने की संभावना को—जहाँ उसे उपेक्षा, दुरुपयोग या शोषण का सामना करना पड़ सकता है—काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। हम हम इस प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं कि इसे देश की प्रत्येक न्यायालय द्वारा अपनाया जाए, जो किसी विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन से संबंधित मामलों को निपटाती है, ताकि अंततः दत्तक ग्रहण हो सके। हम इस विषय पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित किए जाने वाले सिद्धांतों और मानदंडों पर विचार करेंगे। इस बीच, बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात की न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन आगे बढ़ाते हुए, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि जब अदालत द्वारा नोटिस जारी की जाती है, तो भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद या भारतीय बाल कल्याण परिषद या किसी अन्य मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्था जिसे नोटिस जारी किया जाता है, वह एक बच्चे का अध्ययन विवरणी तैयार करती है जिसे सुविधाजनक रूप से 'बाल अध्ययन रिपोर्ट' कहा जा सकता है, और उसे अपनी समीक्षा के लिए न्यायालय को प्रस्तुत करती है। बच्चे से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में, जिन पर बच्चे के अध्ययन विवरणी में जानकारी दी जानी चाहिए, इस विषय पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कह सकते हैं कि बच्चे के अध्ययन विवरणी में बच्चे से संबंधित कानूनी और सामाजिक आंकड़ों के साथ-साथ उसके व्यावहारिक पैटर्न और उसके बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का आकलन भी होना चाहिए। भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद ने बच्चे के अध्ययन विवरणी का एक मानकीकृत फॉर्म विकसित किया है, जिसे अदालत द्वारा जारी नोटिस के

उत्तर में दायर जवाब के रूप में एक्स. 'सी' के रूप में संलग्न किया गया है। सामान्यतः, किसी विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के प्रस्ताव का समर्थन उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त एक सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा किया जाता है, जहाँ वह विदेशी माता-पिता निवास करते हैं। विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए किया गया आवेदन ऐसे सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा तैयार किए गए गृह अध्ययन विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। गृह अध्ययन विवरणी में विदेशी माता-पिता की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन किया जाता है, जिसमें उनके अतीत, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक अनुकूलनशीलता और दत्तक ग्रहण के बाद बच्चे की देखभाल करने की क्षमता का मूल्यांकन शामिल होता है, भले ही नस्लीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अंतर मौजूद हों। भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद ने अपने द्वारा दायर जवाब के परिशिष्ट 'बी' में, दत्तक ग्रहण के लिए इच्छुक विदेशी माता-पिता के संबंध में गृह अध्ययन विवरणी तैयार करने के दिशानिर्देश प्रस्तुत किए हैं। इन दिशानिर्देशों से, जिन पर हम बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे, यह स्पष्ट होता है कि गृह अध्ययन विवरणी का उद्देश्य विदेशी माता-पिता से संबंधित सामाजिक और कानूनी तथ्यों को प्रस्तुत करना है, ताकि अदालत यह उचित निर्णय ले सके कि क्या उस विदेशी माता-पिता को बच्चे का दत्तक ग्रहण करना बच्चे के हित में होगा। अतः, अधिकांश मामलों में, जहाँ बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात की अदालतों में विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है, अदालत के पास बच्चे के अध्ययन विवरणी के साथ-साथ गृह अध्ययन विवरणी और अन्य प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे यह निर्णय लेने में सहायता मिल सके कि क्या बच्चे के हित में है कि उसे विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। यदि इन रिपोर्टों और सामग्रियों के विचार के पश्चात् अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बच्चे के हित में होगा, तो वह विदेशी माता-पिता को बच्चे का अभिभावक नियुक्त करने का आदेश देती है, जिसके साथ उन्हें यह स्वतंत्रता भी होती है कि वे बच्चे को अपने देश ले जाएँ, ताकि अन्ततः दत्तक ग्रहण संपन्न हो सके। चूंकि किसी विदेशी देश में दत्तक ग्रहण में कुछ समय तो लगेगा ही, और तब तक बच्चा अदालत द्वारा जारी आदेश के आधार पर विदेशी माता-पिता के अभिभावकत्व में बना रहेगा, अतः विदेशी माता-पिता को अभिभावक के रूप में बच्चे के कल्याण के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह माना जाएगा। इसलिए, अदालत उनसे बिना गारंटी या गारंटी सहित ऐसी राशि में एक बांध-पत्र लेती है, जिसे अदालत द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को अदालत में पेश कराने के लिए सुनिश्चित किया जा सके। फिर विदेशी माता-पिता बच्चे को अपने देश ले जाते हैं, या तो स्वयं जाकर या फिर किसी एस्कॉर्ट के माध्यम से, और उसके पश्चात् बच्चे का दत्तक ग्रहण विदेशी माता-पिता द्वारा उनके देश के कानून के अनुसार किया जाता है। इस दत्तक ग्रहण के तहत, बच्चा उसी कानूनी दर्जे का प्राप्त करता है जैसे कि प्राकृतिक रूप से जन्मा बच्चा होता है, जिसके पास विरासत

और उत्तराधिकार के समान अधिकार होते हैं, तथा उसे विदेशी माता-पिता की तरह ही राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। यह सामान्यतः बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात की अदालतों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मोटे तौर पर यह प्रक्रिया बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। फिर भी, प्रक्रिया और विवरण के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा सही परिवार में स्थानांतरित हो, जहाँ वह नैतिक और भौतिक सुरक्षा के साथ, प्यार और गर्माहट के वातावरण में अपनी पूरी शख्सियत में विकसित हो सके, और उसे उपेक्षा, दुरुपयोग या शोषण का सामना न करना पड़े।

अब एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी विदेशी माता-पिता द्वारा एक भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण का प्रावधान करता हो, तब तक ऐसा दत्तक ग्रहण केवल उस देश के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है जहाँ विदेशी माता-पिता निवास करते हैं। लेकिन, विदेशी माता-पिता के अपने देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का पालन करने के लिए, आवश्यक होगा कि वह बच्चे को अपने देश ले जाएँ। हालाँकि, एक भारतीय नागरिक बच्चे को बिना अदालत द्वारा विदेशी माता-पिता को नाबालिग के अभिभावक नियुक्त किए और अदालत की अनुमति के बिना भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी माता-पिता को बच्चे का अभिभावक नियुक्त कर, उसे अपने देश ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज, वर्तमान में कानून की स्थिति के अनुसार, विदेशी माता-पिता द्वारा किसी भारतीय बच्चे का दत्तक ग्रहण कराने का एकमात्र मार्ग यह है कि वह उस अदालत में आवेदन करें, जहाँ बच्चा सामान्यतः रहता है, और उसके व्यक्ति के अभिभावक नियुक्ति के लिए आवेदन करें, तथा अदालत की अनुमति प्राप्त करें कि बच्चे को भारत से बाहर निकालकर अपने देश ले जाया जा सके, ताकि वहाँ उसके देश के कानून के अनुसार दत्तक ग्रहण किया जा सके। हम निश्चित रूप से इस बात के पक्ष में हैं कि ऐसा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण तभी अनुमत होना चाहिए जब भारतीय माता-पिता द्वारा देश के भीतर दत्तक ग्रहण की सभी संभावनाएँ समाप्त हो जाएँ। कई सामाजिक कल्याण संस्थाओं के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि, मोटे तौर पर, भारतीय माता-पिता अपरिचित बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं होते। और यदि वे ऐसा निर्णय भी लेते हैं, तो वे आमतौर पर लड़के को अपनाना पसंद करते हैं बजाय लड़की के, तथा विकलांग बच्चे को दत्तक ग्रहण करने से पूरी तरह से कतराते हैं। इसके परिणामस्वरूप, परित्यक्त, निराश्रित या अनाथ लड़कियों और विकलांग बच्चों के लिए देश के भीतर दत्तक माता-पिता ढूँढने की संभावना बेहद कम हो जाती है, और उनका भविष्य केवल विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण में ही निहित रह जाता है।साथ ही, यह ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि विकसित देशों में दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों की उपलब्धता कम होने के कारण, भारत से बच्चों को दत्तक ग्रहण कराने की बहुत मांग है। नतीजतन, यह खतरा बढ़ जाता है कि अपर्याप्त साधनों से लैस

या कभी-कभी अवांछनीय संगठनों या व्यक्तियों द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में सक्रियता दिखाई जाए, जिसका उद्देश्य बच्चों की तस्करी भी हो सकता है। इसके अलावा, यदि बच्चे को उपेक्षा और परित्याग की स्थिति से निकालकर विदेशी माता-पिता के पास भेजने से उसे भौतिक सुरक्षा और आराम प्रदान किया जा रहा है, तो इससे बच्चे की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं—जैसे कि उसके अमूर्त भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ, और एक अलग नस्लीय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विदेशी परिवार में उसके समायोजन एवं एकीकरण की संभावित कठिनाइयाँ—पर उचित ध्यान नहीं दिया जा सकता, या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मानक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय विकसित किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा सही परिवार में जाए, जो उसे पारिवारिक जीवन का स्नेह और गर्माहट प्रदान करे तथा उसके शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करे। इन सुरक्षा उपायों का हम अब विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

हम शुरुआत में ही यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम उन मामलों से संबंधित नहीं हैं जहाँ जैविक माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में जैविक माता-पिता ही यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे कि वे अपने बच्चे को विदेशी माता-पिता को दत्तक ग्रहण के लिए देंगे या नहीं। केवल उन मामलों में, जहाँ दत्तक ग्रहण के लिए लिया जाने वाला बच्चा निराश्रित या परित्यक्त है और सामाजिक या बाल कल्याण केंद्रों में रह रहा है, तभी यह आवश्यक होता है कि उनके हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या मानक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय तैयार किए जाएँ।

आइए सबसे पहले यह विचार करें कि विदेशी व्यक्ति द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन करते समय किन आवश्यकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी द्वारा किया गया आवेदन उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित होना चाहिए, जहाँ वह विदेशी निवास करता है। भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी सामाजिक या कल्याण संस्था या उस संस्थान, केंद्र या गृह द्वारा, जिसमें नाबालिगों को बाल न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया गया हो, सीधे किसी विदेशी द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण कराने के लिए किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से तीन कारणों से आवश्यक है।

पहला, इससे बच्चों के तस्करी और मुनाफाखोरी की संभावना को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी, यदि पूरी तरह समाप्त न भी हो जाए। क्योंकि यदि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में सीधे संस्थाओं या व्यक्तियों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है, तो दत्तक ग्रहण के लिए

बच्चे की व्यवस्था करने की उसकी जल्दी में, वह ऐसे संस्था या व्यक्ति द्वारा मांगी गई अत्यधिक या अनुचित राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित हो सकता है। दूसरा, अदालत के लिए यह लगभग असंभव हो जाएगा कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि जो विदेशी व्यक्ति बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए लेना चाहता है, वह बच्चे के लिए उपयुक्त माता-पिता होगा या नहीं; और क्या वह बच्चे को एक स्थिर तथा सुरक्षित पारिवारिक जीवन प्रदान कर पाएगा। साथ ही, क्या वह अंतर-जातीय, अंतर-सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को संभालने में सक्षम होगा, जो ऐसे दत्तक ग्रहण से उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि दत्तक ग्रहण का आवेदन विदेशी के देश की किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित नहीं होता, तो अदालत के पास भरोसेमंद और संतोषजनक गृह अध्ययन विवरणी उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा, यदि किसी विदेशी द्वारा सामाजिक या बाल कल्याण संस्था की मध्यस्थता के बिना सीधे बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन किया जाता है, तो विदेशी के देश में ऐसी कोई प्राधिकरण या संस्था नहीं होगी, जिसे बच्चे की प्रगति की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा सके कि बच्चा जल्द से जल्द कानून के अनुसार दत्तक ग्रहण हो जाए और उसे प्रेम, स्नेह, नैतिक और भौतिक सुरक्षा के वातावरण में बड़ा होने का अवसर मिले। अभी तक के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि हर उस विदेशी देश में जहाँ भारत के बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए लिए जाते हैं, वहाँ ऐसी सामाजिक और बाल कल्याण संस्थाओं होती हैं, जिन्हें सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक करने में कोई कठिनाई, परेशानी या असुविधा नहीं होगी कि विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन उस देश की सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाए, जहाँ वह विदेशी निवास करता है। यह जरूरी नहीं कि दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन केवल एक ही सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही किया जाए; एक से अधिक ऐसी संस्थाओं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक संस्था को विदेशी देश की सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तथा अदालत तब तक किसी विदेशी को अभिभावक नियुक्त करने का आदेश नहीं देगी जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन ऐसी ही किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रायोजित किया गया है। जो सामाजिक या बाल कल्याण संस्था किसी बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन का प्रायोजन करती है, उसे एक पेशेवर कार्यकर्ता द्वारा गृह अध्ययन विवरणी तैयार करवानी चाहिए, जिसमें यह दर्शाया जाए कि विदेशी द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन किस आधार पर उस संस्था द्वारा प्रायोजित किया गया है। गृह अध्ययन विवरणी में व्यापक रूप से उन विभिन्न मुद्दों से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए, जिनका उल्लेख इस निर्णय के परिशिष्ट 'ए' में किया गया है, हालांकि इसे उस परिशिष्ट की आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही, इसमें सामाजिक या बाल कल्याण संस्था का यह आकलन भी शामिल होना चाहिए कि क्या दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे को लेने की इच्छा रखने वाला विदेशी उपयुक्त है, योग्य है, और उसके पास अलग नस्लीय एवं सांस्कृतिक परिवेश से आने वाले बच्चे की परवरिश करने की क्षमता है, तथा क्या बच्चा दत्तक ग्रहण परिवार और उस समुदाय के वातावरण में समायोजित हो सकेगा जहाँ वह रहता है। विदेशी द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ एक गृह अध्ययन विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए, और ऐसा आवेदन प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को साथ भेजनी चाहिए, साथ में परिवार की हालिया फ़ोटो, विदेशी व्यक्ति और उनके जीवनसाथी का वैवाहिक प्रमाण पत्र, उनके स्वास्थ्य के संबंध में एक घोषणा, साथ ही एक चिकित्सा प्रमाणित प्रमाण पत्र जिसमें उनके चिकित्सा फिटनेस का विवरण हो, उनके वित्तीय स्थिति से संबंधित एक घोषणा, जिसमें सहायक दस्तावेज़ भी शामिल हों जैसे कि प्रासंगिक स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र, आयकर मूल्यांकन आदेश, बैंक संदर्भ और उनके द्वारा स्वामित्व में रखी संपत्तियों का विवरण, और एक घोषणा जिसमें यह उल्लेख हो कि वे बच्चे के अभिभावक नियुक्त होने के इच्छुक हैं, तथा यह भी शपथ लें कि वे अपने देश के कानून के अनुसार बच्चे का दत्तक ग्रहण, बच्चे के आगमन के समय से अधिकतम दो वर्षों के भीतर, पूर्ण करेंगे और इस दत्तक ग्रहण की सूचना उन्हें अभिभावक नियुक्त करने वाली अदालत तथा उनके मामले की प्रक्रिया कर रही भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को देंगे। साथ ही, वे यह भी स्वीकार करेंगे कि वे बच्चे का पोषण करेंगे और उसे आवश्यक शिक्षा एवं परवरिश प्रदान करेंगे, उसके सामाजिक दर्जे के अनुसार, तथा वे अदालत और भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को बच्चे की प्रगति से संबंधित विवरणी भेजते रहेंगे, जिसमें उसकी हालिया फ़ोटो भी शामिल होगी। पहली दो वर्षों के दौरान ऐसी प्रगति विवरणी तिमाही और अगले तीन वर्षों के लिए छमाही आधार पर दी जाएँगी। विदेशी द्वारा किया गया आवेदन इसके साथ एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी संलग्न होना चाहिए, जो उस भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के किसी अधिकारी के पक्ष में दी गई हो, जिसे मामला प्रक्रिया करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह पावर ऑफ अटॉर्नी अटॉर्नी को यह अधिकार प्रदान करेगी कि यदि विदेशी स्वयं भारत आने में असमर्थ है तो वह विदेशी की ओर से मामला संभाल सके। इसके अतिरिक्त, उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जो विदेशी के आवेदन का प्रायोजन कर रही है, यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि बच्चा दत्तक ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला विदेशी अपने देश के कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए अनुमति प्राप्त है।ये प्रमाणपत्र, घोषणाएं और दस्तावेज़, जो बच्चे का दत्तक ग्रहण कराने के लिए विदेशी के आवेदन के साथ संलग्न होने चाहिए, उन्हें एक नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत किया जाना चाहिए। नोटरी का हस्ताक्षर इस प्रकार प्रमाणित किया जाना चाहिए कि या तो विदेशी के देश के विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी, न्यायाधीश या सामाजिक कल्याण के अधिकारी द्वारा,

या फिर उस देश में भारतीय दूतावास, उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास के किसी अधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया गया हो। जो सामाजिक या बाल कल्याण संस्था विदेशी द्वारा किए गए आवेदन का प्रायोजन करती है, उसे भारत में सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को आवेदन अग्रेषित करते समय यह भी सुनिश्चित करने का संकल्प लेना होगा कि वह विदेशी के देश के कानून के अनुसार अधिकतम दो वर्षों की अवधि के भीतर बच्चे का दत्तक ग्रहण करवाएगा। दत्तक ग्रहण संपन्न होते ही, वह उस दत्तक ग्रहण आदेश की दो प्रमाणित प्रतियाँ भारत में उसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को भेज देगा, जिसके माध्यम से अभिभावक नियुक्ति का आवेदन प्रक्रिया में लाया गया है, ताकि एक प्रति अदालत में दर्ज की जा सके और दूसरी प्रति भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के पास बनी रहे। साथ ही, आवेदन प्रायोजित करने वाली सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को यह भी सहमत होना होगा कि वह दत्तक ग्रहण संपन्न होने तक बच्चे से संबंधित प्रगति विवरणी संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को भेजेगी—पहले वर्ष में तिमाही आधार पर और उसके पश्चात के वर्षों के लिए छमाही आधार पर। साथ ही, यह भी आवश्यक होगा कि यदि विदेशी परिवार में दत्तक ग्रहण से पहले कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वह संस्था बच्चे का ध्यान रखेगी और संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था की स्वीकृति से उसके लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, तथा ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना अभिभावक नियुक्ति की कार्यवाही संभालने वाली अदालत को दी जाएगी। यह जानकारी अदालत द्वारा तथा संबंधित भारतीय सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सचिव तक पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार उन प्रत्येक विदेशी देश की सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं की एक सूची तैयार करेगी, जहाँ से भारत के बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए लिए जाते हैं। यह सूची प्रत्येक ऐसे विदेशी देश की सरकार और उस देश में भारतीय कूटनीतिक मिशन से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् तैयार की जाएगी। हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि स्वीडिश दूतावास ने, उनके पक्ष में दायर हलफनामा में परिशिष्ट II में, सात स्वीडिश संगठनों या संस्थाओं के नाम दिए हैं, जिन्हें स्वीडन के सामाजिक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बोर्ड फॉर इंटर-देशीय दत्तक ग्रहण द्वारा स्वीडिश नागरिकों द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए किए गए आवेदन "मध्यस्थता" करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद ने भी, अपने द्वारा लिखी गई रिप्लाई में, विदेशी देशों में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित सरकारी मान्यता प्राप्त संगठनों या संस्थाओं की एक सूची प्रदान की है। अतः भारत सरकार के लिए विभिन्न विदेशी देशों में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं की एक सूची तैयार करना कठिन नहीं होगा। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आज से छह महीनों के भीतर ऐसी सूची तैयार करे और इस सूची की प्रतियाँ भारत सरकार द्वारा देश के

विभिन्न उच्च न्यायालयों को तथा भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में सरकारी लाइसेंस या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएँ। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत में विदेशी द्वारा बच्चों के अभिभावक नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन, ताकि अन्ततः दत्तक ग्रहण हो सके, तब तक रोक नहीं लगाए जाएँगे जब तक कि यह सूची तैयार न हो जाए, बल्कि उन्हें इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार प्रक्रिया में लाया जाएगा।

अब हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जो उस जैविक माता-पिता के संबंध में है, जिनका बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। जैविक माता-पिता के संबंध में किन सुरक्षा उपायों का प्रावधान करना आवश्यक है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत में यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम जैविक माता-पिता की बात करते हैं, तो हमारा आशय दोनों माता-पिता से है यदि वे साथ हों, या यदि केवल एक मौजूद हो तो माँ या पिता से है। अब इसे एक मौलिक आवश्यकता माना जाना चाहिए कि यदि जैविक माता-पिता ज्ञात हैं, तो उन्हें बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए छोड़ने के बारे में निर्णय लेने में उपयुक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह सहायता उस संस्था, केंद्र, बाल देखभाल गृह या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जिसे बच्चा सौंपा जा रहा है। जैविक माता-पिता द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए सौंपने का निर्णय लेने से पहले, उन्हें दत्तक ग्रहण के सभी निहितार्थों को समझने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें किसी विदेशी द्वारा दत्तक ग्रहण की संभावना भी शामिल है। साथ ही, उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि यदि बच्चा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है, तो उनके लिए बच्चे के साथ आगे कोई भी संपर्क संभव नहीं रहेगा। जैविक माता-पिता को दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे को सौंपने का निर्णय लेते समय किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं लाया जाना चाहिए। और यदि वे बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए सौंपने का निर्णय भी लेते हैं, तो उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए लगभग तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी जानी चाहिए। लेकिन एक बार जब निर्णय लिया जाता है और उस अतिरिक्त समय के भीतर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तो इसे अपरिवर्तनीय माना जाना चाहिए, और तब विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए अभिभावक नियुक्ति का आवेदन दाखिल कर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बिना जैविक माता-पिता का और संदर्भ लिए। इसके पश्चात्, जैविक माता-पिता से पुनः परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि क्या वे बच्चे का दत्तक ग्रहण देना चाहते हैं या उसे वापस लेना चाहते हैं। यह अत्यंत अनुचित होगा यदि किसी विदेशी द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, बच्चे के पोषण के लिए खर्च किया गया हो, कभी-कभी बच्चे के लिए चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती कराई गई हो, और फिर जैविक माता-पिता से पुनः परामर्श करने के लिए कहा जाए, ताकि उन्हें अपना निर्णय पुनः सोचने का मौका दिया जाए। लेकिन किसी भी प्रकार की

गड़बड़ी की संभावना को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को वास्तव में उसके जैविक माता-पिता द्वारा सौंपा गया है, यह आवश्यक है कि जिस संस्था, केंद्र, बाल देखभाल गृह या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था को बच्चे को जैविक माता-पिता द्वारा सौंपा जाता है, वह जैविक माता-पिता से एक दस्तावेज़ प्राप्त करे जिसमें बच्चे को सौंपने का विवरण हो, जिस पर जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर हों और जिसे कम से कम दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इस सौंपने के दस्तावेज़ में न केवल जैविक माता-पिता के नाम और उनके पते का उल्लेख होना चाहिए, बल्कि बच्चे के जन्म, उसकी पार्श्वभूमि, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। यदि जैविक माता-पिता बच्चे के धार्मिक पालन-पोषण के लिए कोई विशेष प्राथमिकता रखते हैं, तो जहाँ तक संभव हो उनकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अंततः केवल बच्चे के हित को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। जैविक माता-पिता को यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए किसी ऐसे विदेशी के हवाले किया जा सकता है, जिसका धर्म जैविक माता-पिता के धर्म से भिन्न हो। यह प्रक्रिया उन मामलों में अपनाई जा सकती है और अनिवार्य है जहाँ जैविक माता-पिता ज्ञात हैं और वे बच्चे को किसी संस्था, केंद्र, बाल देखभाल गृह, अस्पताल या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था को दत्तक ग्रहण के लिए सौंपते हैं। लेकिन जहाँ बच्चा अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त हो और उसके माता-पिता ज्ञात न हों, तो जिस संस्था, केंद्र, बाल देखभाल गृह, अस्पताल या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था के संरक्षण में बच्चा आया हो, उसे बच्चे के जैविक माता-पिता का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि जैविक माता-पिता का पता चल जाता है और यह सिद्ध होता है कि वे बच्चे को वापस लेने का इच्छुक नहीं हैं, तो ऊपर वर्णित प्रक्रिया को यथासंभव अपनाया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी भी कारण से जैविक माता-पिता का पता नहीं चल पाता है, तो उनका सहमति लेना या उनसे परामर्श करना संभव नहीं होगा।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैविक माता-पिता को बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एहतियात इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चे के जन्म के पश्चात् जैविक माता-पिता के पास स्वयं बच्चे की परवरिश करने या उसे दत्तक ग्रहण के लिए सौंपने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, और साथ ही बच्चे को जन्म के बाद किसी भी स्वास्थ्य समस्या से उबरने के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। अब हम उस बच्चे के संबंध में सुरक्षा उपायों पर विचार करते हैं, जिसे दत्तक ग्रहण के लिए लिया जाना प्रस्तावित है। अदालत के समक्ष उपस्थित सभी पक्षों, चाहे वे हस्तक्षेपकर्ता हों या अन्यथा, द्वारा आम सहमति यह थी कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किए गए आवेदन को प्रक्रिया में लाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे आवेदन को केवल उसी स्थिति में प्रक्रिया में लाया जाना चाहिए जब वह भारत सरकार या उस राज्य

सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। या, जैसा कि भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद द्वारा दायर जवाब में प्रयुक्त भाषा में कहा गया है, "अनधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संचालित सभी निजी दत्तक ग्रहण को रोक दिया जाना चाहिए"।भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद और भारतीय बाल कल्याण परिषद स्पष्ट रूप से दो ऐसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जैसा कि 23 अगस्त, 1980 के दिनांकित पत्र से स्पष्ट होता है, जिसे भारत सरकार के उप सचिव द्वारा केरल सरकार, विधि विभाग के सचिव को संबोधित किया गया था, और यह पत्र भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा दायर जवाब में परिशिष्ट 'एफ' में प्रस्तुत किया गया था, जो रिट याचिका के उत्तर में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत इन दो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अलावा भी अन्य सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं हैं जो बच्चों की देखभाल एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न हैं। यदि ऐसी संस्थाओं अच्छी प्रतिष्ठा और मान्यता प्राप्त हैं तथा बच्चों की देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आज से तीन महीनों की अवधि में यह विचार करें और निर्णय लें कि क्या वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप कर्ता के रूप में उपस्थित कोई संस्थान या संस्था बच्चों की देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत है और यदि हाँ, तो क्या उन्हें अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता देने का हकदार माना जा सकता है। निश्चित ही, यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकार में होगा कि वह स्वप्रेरणा से (सुओ मोटो) या किसी आवेदन पर अन्य सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से मान्यता दे, बशर्ते कि ऐसी संस्था की अच्छी प्रतिष्ठा हो और वह बच्चों की देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जानी जाए। हम सुझाव देते हैं कि किसी विशेष सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से मान्यता देने का निर्णय लेने से पहले, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को यह जाँचना चाहिए कि क्या उस संस्था के पास पेशेवर सामाजिक कार्य के अनुभव से लैस पर्याप्त स्टाफ है, क्योंकि अन्यथा संस्था के लिए यह अत्यंत जिम्मेदार कार्य—विदेशी दत्तक ग्रहण परिवार के साथ बच्चे का उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करना—संतोषजनक रूप से निभाना कठिन हो सकता है। इसके साथ ही, यह भी वांछनीय होगा कि केवल बच्चे को दत्तक ग्रहण में स्थान देने के उद्देश्य से स्थापित किसी संगठन या संस्था को मान्यता न दी जाए; केवल वही संगठन या संस्था मान्यता के योग्य होगी, जो बच्चों की देखभाल और कल्याण के कार्य में संलग्न हो, क्योंकि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों के कल्याण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि यह व्यापार में परिवर्तित न हो जाए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार

द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए किसी भी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को मान्यता देने के दौरान यह शर्त रखी जानी चाहिए कि: सामाजिक या बाल कल्याण संस्था उचित खाते रखेगी, जिनका हर वर्ष अंत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, संस्था उस विदेशी से, जो बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की इच्छा रखता है, ऐसे किसी भी शुल्क का संग्रह नहीं करेगी, जो उस आवेदन के तहत अभिभावक नियुक्ति से संबंधित कानूनी या अन्य खर्चों से अधिक हो। इसमें उस काम के लिए उचित पारिश्रमिक या मानदेय भी शामिल होगा, जो आवेदन की प्रक्रिया, दायर करने और उसका पालन करने में किए गए प्रयासों के लिए अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अक्सर ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ कोई बच्चा किसी ऐसे बाल कल्याण संस्था, केंद्र या सामाजिक/बाल कल्याण संस्था के संरक्षण में हो, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया हो। चूँकि हमारे द्वारा स्थापित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था ही अभिभावक नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया में संलग्न हो सकती है, अतः किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त संस्था, केंद्र या संस्था , जिसके पास कोई बच्चा संरक्षित है, यदि वह उस बच्चे का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कराने की इच्छा रखती है, तो उसे मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के पास जाना होगा। इस स्थिति में, बिना किसी अनावश्यक देरी के, उस बच्चे का नाम और उसके विवरण को उस मान्यता प्राप्त संस्था को भेजना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से उस बच्चे का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कराने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्येक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उस संस्था के माध्यम से अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित सभी बच्चों के नाम और विवरण दर्ज किए जाएँ। प्रत्येक ऐसे बच्चे के सम्बन्ध में, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक बच्चे का अध्ययन विवरणी तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चे के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल हो, ताकि विदेशी व्यक्ति यह निर्णय ले सके कि वह बच्चे को दत्तक ग्रहण करना चाहता है या नहीं, और यदि वह दत्तक ग्रहण करने का निर्णय करता है तो बच्चे को समझ सके, साथ ही अदालत को यह निर्णय लेने में सहायता मिल सके कि क्या बच्चे के कल्याण के लिए उसे उस विदेशी को दत्तक ग्रहण कर देना उचित होगा। बच्चे के अध्ययन विवरणी में, जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित मामलों से संबंधित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

"(1) पहचान संबंधी जानकारी, जहाँ संभव हो, दस्तावेजों द्वारा समर्थित,

(2) जैविक माता-पिता से संबंधित जानकारी, जिसमें उनके स्वास्थ्य की जानकारी तथा माँ की गर्भावस्था और जन्म के विवरण शामिल हों,

(3) शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास,

(4) एक पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य रिपोर्ट, अधिमानतः बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा,

(5) हाल की फ़ोटो,

(6) वर्तमान परिवेश – देखभाल की श्रेणी (जैसे कि स्वयं का घर, पालक गृह, संस्था आदि), संबंध, दिनचर्या और आदतें,(7) सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की सिफारिश के कारण।

भारत सरकार को, राज्य सरकारों की सहायता से, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए, जिसमें उनके नाम, पते और अन्य विवरण शामिल हों। यह सूची प्रत्येक ऐसे विदेशी देश की संबंधित विभाग को भेज दी जानी चाहिए, जहाँ आमतौर पर भारतीय बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जाता है, ताकि उस विदेशी देश द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं यह जान सकें कि भारतीय संस्थाओं में से किससे वे अपने नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किए गए आवेदन की प्रक्रिया के लिए संपर्क करें। ऐसी सूची भारत सरकार द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय को भी भेजी जानी चाहिए, और उनसे अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इसे अपने अधिकार क्षेत्र की जिला अदालतों को अग्रेषित करें, ताकि देश में उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों को यह ज्ञात हो सके कि कौन सी मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं विदेशी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन की प्रक्रिया में सक्षम हैं। बेशक, यह अपेक्षित होगा कि भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था की स्थापना की जाए, जिसके क्षेत्रीय शाखाएँ उन कुछ केन्द्रों पर हों जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सक्रिय हैं। ऐसी केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था बच्चों से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत भंडार (क्लियरिंग हाउस) के रूप में कार्य कर सकती है, जहाँ अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध बच्चों की जानकारी रखी जाए। और फिर विदेशी द्वारा भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए किए गए सभी आवेदन, विदेशी देश में मौजूद सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा ऐसी केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था को अग्रेषित किए जा सकते हैं, जो बदले में उन्हें भारत में किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था में से एक को भेज देगी। प्रत्येक सामाजिक या बाल कल्याण संस्था, जो अपने संरक्षण में बच्चों को रखती है, उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह उन बच्चों के नाम और विवरण केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था को भेजे, जो दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध हों। इन बच्चों के नाम और विवरण को केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। लेकिन, जब तक ऐसी केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी विदेशी द्वारा भारतीय बच्चे के दत्तक

ग्रहण हेतु किया गया आवेदन केवल एक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही प्रसारित किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी ऐसे आवेदन पर विचार करने से पहले, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे के लिए पहले भारतीय परिवार में दत्तक ग्रहण की व्यवस्था की जाए। जब भी कोई भारतीय परिवार किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के पास बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए आता है, तो उस संस्था द्वारा भारतीय परिवार को यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कि वे उपलब्ध दत्तक हेतु बच्चों को देख सकें। यदि भारतीय परिवार किसी विशेष बच्चे के संबंध में बाल अध्ययन विवरणी देखना चाहता है, तो वह बाल अध्ययन विवरणी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि परिवार यह तय कर सके कि वे उस बच्चे को दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। केवल तभी, जब अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर कोई भी भारतीय परिवार उस बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए आगे नहीं आता, तभी उस बच्चे को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु उपलब्ध माना जा सकता है। एक अपवाद के अलावा, अर्थात् यदि बच्चा विकलांग है या उसकी स्वास्थ्य स्थिति इतनी खराब है कि उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, और ऐसा करना उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के लिए संभव नहीं है जो बच्चे का ध्यान रख रही है, तो मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को दो महीने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ऐसे बच्चे को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु देने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे। मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, विदेशी द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन प्राप्त होते ही, यह विचार करना चाहिए कि कौन सा बच्चा उस विदेशी को दत्तक ग्रहण हेतु देने के लिए उपयुक्त रहेगा और उसका चयन उस विदेशी परिवार और समुदाय के माहौल में फिट बैठेगा। ऐसे बच्चे की फ़ोटो और बाल अध्ययन विवरणी विदेशी को भेजी जानी चाहिए, ताकि वह उस बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु अपनी स्वीकृति दे सके। यह प्रथा कि विदेशी द्वारा किसी भी बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु सामान्य स्वीकृति दी जाए, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि विदेशी ने बच्चे की फ़ोटो नहीं देखी और बाल अध्ययन विवरणी का अध्ययन नहीं किया, तथा मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा उसके सामान्य अनुमोदन के आधार पर कोई बच्चा चुना जाता है, तो उसके अपने देश में बच्चे के आगमन पर उसे यह लग सकता है कि वह बच्चा उसके अनुकूल नहीं है या वह उसे पसंद नहीं करता, जिससे बच्चे के हितों को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को किसी विशेष, परिचित बच्चे की स्वीकृति पर जोर देना चाहिए। एक बार जब विदेशी से उस विशेष बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो बिना किसी अनावश्यक देरी के मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को तुरंत विदेशी को बच्चे का अभिभावक नियुक्त करने के लिए आवेदन करने की

प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। यह आवेदन उस अदालत में किया जाना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में बच्चा सामान्यतः रहता है, और इसे गृह अध्ययन रिपोर्ट, बाल अध्ययन विवरणी तथा अन्य प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिन्हें उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा विदेशी के दत्तक ग्रहण के आवेदन के साथ अग्रेषित किया गया है।

इसके आगे हम यह विचार करने से पहले कि किसी विदेशी को बच्चे का अभिभावक नियुक्त करने के संबंध में अदालत द्वारा किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, एक उस संदेह बिंदु पर चर्चा करेंगे जो हमारे समक्ष उठाया गया था, अर्थात् क्या उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जो बच्चे का ध्यान रख रही है, उस बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक विदेशी से बच्चे के पोषण या उसके चिकित्सा खर्चों के संबंध में कोई राशि प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। हमें बताया गया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ तथाकथित सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं या व्यक्ति बच्चे का दत्तक ग्रहण कराने के बदले में बड़ी राशि मांगते हैं, और अक्सर इसे बच्चे के पोषण शुल्क और चिकित्सा खर्चों के नाम पर किया जाता है, जिन्हें बच्चे के लिए किए गए होने का दावा किया जाता है। यह एक घातक प्रथा है, जो वास्तव में बच्चों की तस्करी से कम नहीं है, और इसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करके रोकना अत्यंत आवश्यक है। कोई संदेह नहीं है कि यदि विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन केवल एक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही किया जाए, और बच्चे के अभिभावक के रूप में विदेशी की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक कदम भी केवल मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा उठाए जाएं, तो संभावित दत्तक माता-पिता से अत्यधिक राशि मांगकर तथाकथित सामाजिक या बाल कल्याण संस्था या व्यक्तियों द्वारा बच्चों की तस्करी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। लेकिन, साथ ही यह भी उचित नहीं होगा कि जो सामाजिक या बाल कल्याण संस्था बच्चे का ध्यान रख रही है, उसे संभावित दत्तक माता-पिता से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकार न हो, यदि बच्चे से संबंधित पोषण और चिकित्सा खर्च वास्तव में उस संस्था द्वारा किए गए हों। बहुत सी ऐसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं, जो बच्चों के आश्रम चला रही हैं, उनके पास अपने स्वयं के सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं और उन्हें मुख्य रूप से स्वैच्छिक दान पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः यदि वे किसी बच्चे के लिए पोषण या चिकित्सा खर्च करते हैं, तो उन्हें विदेशी द्वारा दत्तक ग्रहण में लेने वाले से ऐसे खर्चों की भरपाई प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। हम इसीलिए निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक या बाल कल्याण संस्था , जो उस बच्चे की देखभाल कर रही है जिसे संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता द्वारा चुना गया है, वह वैध रूप से उस संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता से निम्नलिखित राशि प्राप्त कर सकती है: चयन की तिथि से लेकर उस दिन तक, जब तक बच्चा अपने नए घर के लिए प्रस्थान नहीं कर जाता, प्रति दिन 60 रुपये (यह सीमा समय-समय पर भारत सरकार के सामाजिक

कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित की जा सकती है) तक के पोषण खर्च। साथ ही, चिकित्सा खर्च, जिसमें अस्पताल में भर्ती के शुल्क (यदि कोई हो) भी शामिल हैं, जो वास्तव में उस संस्था द्वारा बच्चे के लिए किए गए हों। हालांकि, ऐसे पोषण शुल्क और चिकित्सा खर्च के भुगतान का दावा मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा। सीधे उस संस्था से भुगतान प्राप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया काफी हद तक बच्चों की धन या वस्तु रूपी लाभ के लिए तस्करी को समाप्त कर देगी, अतः हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में इस प्रक्रिया का पालन किया जाए। हालांकि, इस निर्देश के साथ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी इस बात का मतलब किसी भी रूप में किसी विदेशी को किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को स्वैच्छिक दान देने से रोकना नहीं है, लेकिन संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता से ऐसा कोई भी दान तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चा उसके देश में नहीं पहुँच जाता।

यह भी आवश्यक है कि जिस मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन प्राप्त होता है, वह बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र है। जहाँ माता-पिता ने बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए सौंप दिया है और सौंपने का दस्तावेज़ मौजूद है, वहाँ निश्चित ही बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु स्वतंत्र माना जाना चाहिए। इसी प्रकार, जहाँ बच्चा अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त है और संबंधित सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा उसके माता-पिता का पता नहीं लगाया जा सका है, या जहाँ बच्चा बाल न्यायालय द्वारा किसी संस्था, केंद्र या आश्रम में स्थानांतरित किया गया है और बाल न्यायालय द्वारा उसे निराश्रित घोषित किया गया है, उसे भी दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र माना जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध है। साथ ही, यह आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था निम्नलिखित बातों का स्वयं भी सत्यापन करे: यह कि संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता के देश में बच्चे के प्रवेश में कोई बाधा नहीं है; यह कि बच्चे के लिए यात्रा दस्तावेज़ उचित समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं; और यह कि संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता के देश का कानून बच्चे के कानूनी दत्तक ग्रहण की अनुमति देता है, तथा यदि ऐसा कानूनी दत्तक ग्रहण संपन्न नहीं होता, तो बच्चा एक प्राकृतिक जन्मे बच्चे के समान कानूनी दर्जा और विरासत के अधिकार प्राप्त करेगा और उसे उस देश में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को अभिभावक नियुक्ति के आवेदन के साथ एक प्रमाणपत्र भी दाखिल करना चाहिए, जिसमें उपरोक्त संतोषप्रद स्थितियों का वर्णन हो।

हम इस चरण में एक और प्रश्न का उल्लेख करना चाहेंगे, जो हमारे समक्ष उठाया गया था, अर्थात क्या किसी राज्य में सामाजिक या बाल कल्याण संस्था, अस्पताल या अनाथालय के संरक्षण में रहने वाला बच्चा, किसी अन्य राज्य में ले जाया जा सकता है ताकि उसे दत्तक ग्रहण कराने हेतु प्रस्तुत किया जा सके, और उस बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए उस दूसरे राज्य की अदालत में आवेदन किया जा सके। यह प्रश्न विशेष रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लेन्टिन द्वारा 22 जुलाई, 1982 को विविध याचिका संख्या 178 वर्ष 1982 तथा अन्य सम्बंधित याचिकाओं के संदर्भ में चर्चा में लाया गया था। हम न्यायमूर्ति लेन्टिन के साथ सहमत हैं कि विभिन्न राज्यों में सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं या व्यक्ति अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों को एकत्र करने के उद्देश्य से जाते हैं, तो इससे काफी दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि ऐसी संस्थाओं या व्यक्ति गरीब माता-पिता को मौद्रिक प्रलोभन देकर उनके बच्चों को उनसे अलग करने के लिए प्रेरित करें, और फिर उन बच्चों को विदेशी दत्तक ग्रहण में देने के लिए उच्च मूल्य की मांग करें, जिसे विदेशी, बच्चे को दत्तक ग्रहण में लेने की अपनी चिंता में, भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन हम यह नहीं मानते कि यदि किसी बच्चे को उसके जैविक माता-पिता द्वारा सौंप दिया गया हो या वह अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त बच्चा अपने मूल राज्य में हो, तो उस पर किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा उसे किसी अन्य राज्य ले जाने में कोई आपत्ति की जानी चाहिए, भले ही उद्देश्य उसे दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तुत करना हो, बशर्ते कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए हों कि ऐसी संस्था किसी भी दुरुपयोग में शामिल न हो। चूँकि हम यह निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी विदेशी द्वारा बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किया गया आवेदन केवल एक मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के माध्यम से ही प्रसारित किया जाएगा, तथा विदेशी को बच्चे का अभिभावक नियुक्त कराने के लिए आवेदन भी केवल इसी मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से ही अदालत में किया जाएगा, इसलिए किसी अन्य राज्य से बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु लाने वाले किसी भी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था या व्यक्ति द्वारा बच्चों की तस्करी में लिप्त होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु प्रस्तुत करने से पहले, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा या तो उसके जैविक माता-पिता द्वारा बिना किसी मौद्रिक प्रलोभन के स्वेच्छा से सौंपा गया है, या फिर वह अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त बच्चा है। इस उद्देश्य के लिए, मान्यता प्राप्त संस्था उस संस्था या व्यक्ति से, जिसके पास बच्चे की देखभाल और संरक्षण है, शपथपूर्वक यह बयान मांग सकती है कि बच्चा किस प्रकार प्राप्त हुआ। यदि आवश्यक समझे तो संस्था जैविक माता-पिता से या उस बाल देखभाल केंद्र, अस्पताल या अनाथालय से भी प्रत्यक्ष पूछताछ करके उस बयान की सत्यता की पुष्टि कर सकती है। इस प्रकार के उपाय न केवल दुरुपयोग की संभावनाओं को काफी हद तक कम करेंगे, बल्कि उन छोटे शहरों

और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के प्यार और देखभाल से वंचित बच्चों को उचित परिवार में स्थानांतरित करने में भी सहायक होंगे। हमारे विचार में, ऐसे मामलों में जहाँ जैविक माता-पिता द्वारा सौंपा गया बच्चा या कोई अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त बच्चा किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य लाया जाता है, तो दूसरे राज्य की अदालत में उस बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए आवेदन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होने के कारण, वह सामान्यतः उस स्थान पर निवास करेगा जहाँ उसे उस संस्था या व्यक्ति की देखरेख में रखा गया है। इसके अलावा, हमारा यह भी मानना है कि सभी मामलों में जहाँ किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण करने का प्रस्ताव किया जाता है, जैविक माता-पिता के बारे में पूछताछ पूरी करनी चाहिए—चाहे वे पता लग सके या नहीं, और यदि पता लग जाएँ, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने स्वेच्छा से बच्चे को सौंप दिया है या यदि नहीं, तो क्या वे बच्चे को वापस लेना चाहते हैं—इस प्रक्रिया को बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु प्रस्तुत करने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। और एक बार यह जांच पूरी हो जाने के पश्चात् जैविक माता-पिता का पता लगाने या उनसे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इससे उस बदसूरत और अप्रिय स्थिति की संभावना समाप्त हो जाएगी, जहाँ जैविक माता-पिता दत्तक ग्रहण के पश्चात् बच्चे का दावा करने के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही, दत्तक ग्रहण हेतु बच्चे का स्थानांतरण करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाई-बहन या ऐसे बच्चे जिन्हें एक साथ पाला गया हो, उन्हें विशेष कारणों को छोड़कर अलग नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे ही किसी विदेशी को बच्चे का दत्तक ग्रहण कराने का निर्णय अंतिम रूप दिया जाता है, मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, यदि बच्चा समझ की आयु तक पहुँच चुका हो, उपयुक्त ओरिएंटेशन प्रदान करने और उसे नए देश में अपने नए घर में जाने के लिए तैयार करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि बच्चे का नए पर्यावरण में समायोजन सुगम हो सके।

हम यह जोर देकर कहना चाहेंगे कि ऊपर वर्णित संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें बाल अध्ययन विवरणी तैयार करना, आवश्यक पूछताछ करना और उन सभी आवश्यक कदमों को उठाना शामिल है, जो उस बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के आवेदन दाखिल करने तक ले जाते हैं, उसे शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। ताकि बच्चा अत्यधिक आवश्यक अवधि से अधिक किसी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था के संरक्षण में बिना पारिवारिक जीवन के स्नेह के न रहना पड़े।

हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि यदि किसी बच्चे का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण किया जाना है, तो यह वांछनीय होगा कि बच्चे का दत्तक ग्रहण, जहाँ तक संभव हो, उसके 3 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले किया जाए। इसका कारण यह है कि यदि कोई बच्चा समझ की आयु प्राप्त होने से पहले दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसके लिए नए पर्यावरण में समायोजित होना और

एकीकृत होना हमेशा आसान रहता है, जहाँ वह किसी विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाता है। तुलनात्मक रूप से, एक बड़े बच्चे के लिए किसी अलग देश में नई परिवेश के अनुकूल होना कुछ कठिन हो सकता है और कभी-कभी यह भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या विदेशी दत्तक माता-पिता उस बड़े बच्चे का प्यार और स्नेह जीत पाएंगे। लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा यह सुझाव किसी भी रूप में यह संकेत नहीं देता कि 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। 3 से 7 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे भी बिना किसी कठिनाई के नए परिवेश में ढल सकते हैं, और केवल 3 वर्ष की आयु पार करने के कारण उन्हें विदेशी माता-पिता के घर में पारिवारिक स्नेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। हम सुझाव देते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों का भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में, यदि वे अपनी इच्छा व्यक्त करने में सक्षम हों, तो उनकी पसंद का पता लगाया जाना चाहिए। हमारे समक्ष प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी उनके विदेशी दत्तक माता-पिता के परिवार में खुशी-खुशी समायोजित किया गया है।

अंत में, हम उस प्रक्रिया पर विचार करते हैं जिसे अदालत द्वारा पालन किया जाना चाहिए जब किसी बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है। गार्जियन्स एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 11 के अनुसार, आवेदन के नोटिस को विभिन्न व्यक्तियों को जारी करने का प्रावधान है, जिसमें यदि बच्चे के माता-पिता उस राज्य में निवास करते हैं जहाँ यह अधिनियम लागू होता है, तो उन्हें भी शामिल किया जाता है। लेकिन, हम दृढ़ता से इस बात के पक्ष में हैं कि इस धारा के तहत जैविक माता-पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से काफी शर्मिंदगी और कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी यदि जैविक माता-पिता आगे आकर संभावित दत्तक ग्रहणकर्ता द्वारा बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करें। साथ ही, जैविक माता-पिता को यह भी ज्ञात हो जाएगा कि बच्चे को किस व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण में लिया जा रहा है, जिससे वे किसी भी समय बच्चे का पता लगा सकते हैं और उससे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात पहुँच सकता है, जो उसके भविष्य की खुशी पर असर डाल सकता है। यह संभावना भी नकारी नहीं जा सकती कि यदि जैविक माता-पिता को यह पता चल जाए कि दत्तक माता-पिता कौन हैं, तो वे उनसे धन उगाही करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जैविक माता-पिता को यह जानकारी प्राप्त करने का कोई अवसर न मिले कि उनके बच्चे को कौन गोद ले रहा है। इसी कारण से, अभिभावक नियुक्ति के आवेदन का नोटिस जैविक माता-पिता को नहीं दिया जाना चाहिए।

उसी कारण से, हम यह भी निर्देश देते हैं कि इस आवेदन का कोई नोटिस किसी समाचार पत्र में प्रकाशित न किया जाए। अधिनियम की धारा 11 के तहत, न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवेदन की सूचना किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को दे, जिसे वह आवश्यक समझे। इस अधिकार का उपयोग करते हुए, न्यायालय को अभिभावक नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने से पहले भारतीय बाल कल्याण परिषद या भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद या इसकी किसी शाखा को नोटिस देना चाहिए, ताकि इस आवेदन की जांच की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे को गोद दिए जाने से उसका सर्वोत्तम हित सुरक्षित रहेगा। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त करने वाली इन संस्थाओं को विदेशी दत्तक ग्रहणकर्ता द्वारा किए गए आवेदन की बारीकी से जांच करनी होगी। उन्हें गृह अध्ययन विवरणी , बाल अध्ययन विवरणी और प्रायोजक सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की समीक्षा करनी होगी। आवश्यक पूछताछ के बाद, उन्हें न्यायालय के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करनी होगी, जिससे न्यायालय यह तय कर सके कि: क्या हमारे इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है? क्या विदेशी दत्तक ग्रहणकर्ता बच्चे के लिए उपयुक्त माता-पिता होंगे? क्या बच्चा विदेशी दत्तक ग्रहणकर्ता के परिवार और समुदाय में समाहित हो सकेगा? क्या बच्चे को परिवार के प्रेम, भावनात्मक सुरक्षा और नैतिक व भौतिक स्थिरता मिलेगी? क्या बच्चे को विदेशी दत्तक ग्रहणकर्ता द्वारा गोद लिया जाना उसके सर्वोत्तम हित में होगा? यदि न्यायालय इन सभी पहलुओं से संतुष्ट हो जाता है, तो ही वह आदेश पारित करेगा, जिसमें विदेशी नागरिक को बच्चे का अभिभावक नियुक्त किया जाएगा और उसे बच्चे को अपने देश ले जाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि अंततः वहां विधिक रूप से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अदालत यह भी आदेश में एक शर्त शामिल करेगी कि विदेशी, जिसे अभिभावक नियुक्त किया जाता है, उसे आवश्यकतानुसार बच्चे को भारत वापस ले जाने के लिए जमा राशि, बांध-पत्र या अन्य किसी माध्यम से उचित व्यवस्था करनी होगी। हम यह संकेत करना चाहेंगे कि ऐसा प्रावधान, दत्तक ग्रहण विधेयक संख्या 208 वर्ष 1980 की धारा 24 में पाया जाता है, और वास्तव में दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रैक्टिस निर्देशों के परिणामस्वरूप, दिल्ली की अदालतों में नियुक्त किए गए विदेशी अभिभावक से बांध-पत्र लेने की प्रथा अपनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, आदेश में यह भी शर्त शामिल होगी कि विदेशी, जिसे अभिभावक नियुक्त किया जाता है, उसे अदालत एवं उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जो अभिभावक नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया कर रही है, बच्चे की प्रगति विवरणी एवं हालिया फ़ोटो तिमाही आधार पर पहले दो वर्षों के दौरान और अगले तीन वर्षों के लिए छमाही आधार पर प्रस्तुत करनी होंगी। अदालत पारित करते समय यह भी अनुमति दे सकती है कि उस सामाजिक या बाल कल्याण संस्था को, जिसने बच्चे की देखभाल की है जब तक उसका दत्तक ग्रहण हेतु चयन नहीं हो जाता, वह उस विदेशी से, जिसे बच्चा का अभिभावक नियुक्त किया गया है,

अदालत द्वारा उचित समझी गई राशि प्राप्त कर सके। अभिभावक नियुक्ति का आदेश, उसके साथ, बच्चे की एक फ़ोटो संलग्न करेगा, जिस पर अदालत के किसी अधिकारी द्वारा काउंटर-साइन किया गया हो। यह संपूर्ण प्रक्रिया अदालत द्वारा शीघ्रता से, और यथासंभव, बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के आवेदन की तिथि से दो महीनों के भीतर पूरी की जाएगी। अदालत में अभिभावक नियुक्ति के आवेदन की कार्यवाही को इन कैमरा (गोपनीय) रूप में आयोजित किया जाना चाहिए और इसे गोपनीय माना जाएगा। जैसे ही अभिभावक नियुक्ति के आवेदन पर आदेश जारी किया जाता है, पूरी कार्यवाही सहित कागजात और दस्तावेज़ सीलबंद कर दिए जाने चाहिए। जब अदालत द्वारा बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है, तो तत्काल इसकी सूचना केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को, साथ ही उस राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय को भी दी जानी चाहिए, जहां अदालत स्थित है। ऐसे आदेश की प्रतियाँ दोनों संबंधित सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को भी अग्रेषित की जानी चाहिए। भारत सरकार का सामाजिक कल्याण मंत्रालय उन बच्चों के नाम और अन्य विवरणों के साथ-साथ संभावित दत्तक माता-पिता के नाम, पते और अन्य विवरणों का एक रजिस्टर बना कर रखेगा, जिनके लिए अभिभावक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है और जिन्हें बच्चे दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से ले जाने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार समय-समय पर संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावकों के नाम, पते और अन्य विवरण, साथ ही उनके द्वारा लिए गए बच्चों के विवरण के साथ, संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास या हाई कमिशन को भेजेगी। इसमें दूतावास या हाई कमिशन से अनुरोध किया जाएगा कि वे बच्चों के कल्याण और प्रगति पर एक सूक्ष्म निगरानी रखें, ताकि किसी भी संभावित कुप्रयोग, शोषण या अन्य दुरुपयोग से बचाव हो सके, और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, लापरवाही या शोषण की घटना की तुरंत सूचना भारत सरकार को दी जा सके ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

हम पुनरावृत्ति की कीमत पर भी यह आगे कह सकते हैं कि बच्चे के दत्तक ग्रहण में लिए जाने के पश्चात् उसके जैविक माता-पिता किसी भी परिस्थिति में यह जानने में सक्षम नहीं होने चाहिए कि दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता कौन हैं, न ही उन्हें गृह अध्ययन रिपोर्ट, बाल अध्ययन विवरणी या बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के आवेदन में शामिल अन्य कागजात एवं कार्यवाही का कोई भी दस्तावेज देखने का अधिकार होना चाहिए। विदेशी माता-पिता जिनके द्वारा किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण किया गया है, आमतौर पर बच्चे का चयन करने से पहले बाल अध्ययन विवरणी उनके पास होती है, और यदि उनके पास बाल अध्ययन विवरणी नहीं होती है, तो इसे मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण संस्था द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए, जो बच्चे के अभिभावक नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया कर रही हो। बाल अध्ययन विवरणी से उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि बच्चे के जैविक माता-पिता कौन हैं, यदि जैविक माता-पिता का पता

हो। विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता को बच्चे के जैविक माता-पिता के विवरण उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की विवेकाधीनता पर निर्भर करेगा कि वे बच्चे को उसके जैविक माता-पिता के बारे में सूचित करना चाहेंगे या नहीं, और यदि सूचित करेंगे तो कब सूचित करेंगे। एक बार जब किसी विदेशी द्वारा बच्चे का दत्तक ग्रहण किया जाता है और बच्चा दत्तक ग्रहण के देश के माहौल में बड़ा होता है तथा उस देश के समाज का हिस्सा बन जाता है, तो यह आवश्यक नहीं कि बच्चे को उसके जैविक माता-पिता के बारे में जानकारी दी जाए जब तक कि वह छोटा हो, क्योंकि इससे उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि वह अपने जैविक माता-पिता से मिलना चाहेगा, जिससे उसके मन पर अस्थिर प्रभाव पड़ सकता है। परंतु यदि बच्चे ने परिपक्वता की आयु प्राप्त कर ली और वह अपने जैविक माता-पिता के बारे में जानना चाहता है, तो इस प्रकार की जानकारी देने में कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परिपक्वता के बाद ऐसा जानकारी बच्चे पर आसानी से प्रभाव नहीं डालती। ऐसे मामले में, विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता अपने विवेक का उपयोग करते हुए बच्चे को आवश्यकतानुसार वह जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

ये वे सिद्धांत और मानदंड हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए और जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार किसी बच्चे को विदेशी माता-पिता को दत्तक ग्रहण के लिए दिया जाना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों और मानदंडों का पालन किया जाता है और इस प्रक्रिया का सही तरीके से अनुसरण किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, यदि किसी भी सुरक्षा उपाय के बिना अनुमति दी जाती है, उससे होने वाले दुरुपयोग काफी हद तक कम हो जाएंगे, यदि नहीं तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चे का कल्याण संरक्षित रहेगा और उसे एक ऐसा नया घर प्राप्त होगा जहाँ वह परिवार के स्नेह और गर्मजोशी के वातावरण में शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के पूर्ण अवसरों के साथ बढ़ सकेगा।हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चों का दत्तक ग्रहण उस समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इस आदेश में निर्देशानुसार सामाजिक या बाल कल्याण संस्थाओं को सरकार द्वारा मान्यता न दी जाए। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से सामाजिक या बाल कल्याण संथाओं की मान्यता की प्रतीक्षा के दौरान, जिसकी यह अवधि, हमें आशा है, दो महीने से अधिक नहीं चलेगी, किसी भी सामाजिक या बाल कल्याण संस्था जिसे किसी बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, को विदेशी के आवेदन की प्रक्रिया करने की अनुमति दी जा सकती है। इस एक अपवाद को छोड़कर, हमारे द्वारा निर्धारित शेष प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए और इस निर्णय में व्यक्त किए गए सिद्धांतों तथा मानदंडों का अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बच्चे को प्रदान करते समय पालन किया जाना चाहिए।

रिट याचिका का निपटारा इन शर्तों के साथ किया जाएगा। इस आदेश की प्रतियां तुरंत भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय और प्रत्येक राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ देश के सभी उच्च न्यायालयों और भारतीय समाज कल्याण परिषद और भारतीय बाल कल्याण परिषद को भेजी जाएंगी। हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रतियां नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, संघीय गणराज्य जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों और राजनयिक मिशनों और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयोगों को भी उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएंगी क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ये वे देश हैं जहां भारतीय बच्चों को गोद लिया जाता है।

एस.आर.

अनुलग्नक 'A'

1. संदर्भ का स्रोत,
2. एकल और संयुक्त साक्षात्कारों की संख्या,
3. पति और पत्नी का व्यक्तित्व।
4. स्वास्थ्य संबंधी विवरण, जैसे कि नैदानिक परीक्षण, हृदय की स्थिति, पिछली बीमारियाँ आदि (चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक, यदि लागू हो तो बंध्यता प्रमाणपत्र आवश्यक)।
5. सामाजिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि।
6. व्यवसाय के साथ अनुकूलन और उसका स्वभाव।
7. समुदाय के साथ संबंध।
8. घर का विवरण।
9. बच्चे के लिए आवास।
10. शिक्षा की सुविधाएँ
11. घर में उपलब्ध सुविधाएँ।
12. घर में दिखाई देने वाला जीवन स्तर।
13. पड़ोस का प्रकार।
14. पति और पत्नी के बीच वर्तमान संबंध।
15. (a) माता-पिता और बच्चों के बीच वर्तमान संबंध (यदि कोई बच्चे हैं)।

    (b) पहले से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का विकास (यदि कोई हों) और दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चे को उनकी स्वीकृति।
16. जोड़े और एक-दूसरे के परिवार के सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध।
17. यदि पत्नी कार्यरत हैं, तो क्या वह नौकरी छोड़ने में सक्षम होंगी?

18. यदि वह नौकरी नहीं छोड़ सकतीं हैं , तो बच्चे की देखभाल के लिए वह क्या व्यवस्था करेंगी?
19. क्या विवाहिक साथी में से किसी की बाँझपन के कारण दत्तक ग्रहण पर विचार किया जा रहा है?
20. यदि नहीं, तो क्या वे भविष्य में स्वयं अपने बच्चे कर सकते हैं?
21. यदि उनका अपना बच्चा जन्म लेता है, तो वे दत्तक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे?
22. यदि जोड़े के पहले से बच्चे हैं, तो वे दत्तक बच्चे पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे?वे कौन से महत्वपूर्ण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं जिन्होंने बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की उनकी इच्छा पर प्रभाव डाला है?
23. एक भारतीय बच्चे को दत्तक ग्रहण करने की इच्छा के कारण।
24. दत्तक ग्रहण के प्रति दादा-दादी और रिश्तेदारों का रवैया।
25. दत्तक ग्रहण के प्रति रिश्तेदारों, मित्रों, समुदाय और पड़ोस का रवैया।
26. दत्तक बच्चे के लिए प्रस्तावित योजनाएँ।
27. क्या दत्तक ग्रहण उन देशों के दत्तक ग्रहण कानून के अनुसार किया जा सकता है जहाँ दत्तक माता-पिता रहते हैं? क्या उन्होंने दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की है? (अनुमति का विवरण आवश्यक है।)
28. क्या दत्तक माता-पिता अपने देश या किसी अन्य देश से बच्चे दत्तक ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं? वे कौन हैं? उस स्रोत से उन्हें बच्चा क्यों नहीं मिला?
29. क्या जोड़े ने किसी अन्य स्रोत से बच्चे के लिए आवेदन किया? यदि हाँ, तो कौन सा स्रोत?
30. जोड़े किस प्रकार के बच्चे में रुचि रखते हैं? (लिंग, आयु, और किस कारणों से।)
31. परिवार और इस घर में सबसे उपयुक्त बच्चे के प्रकार के संदर्भ में कार्यकर्ता की सिफारिश।
32. गृह अध्ययन कराने वाली संस्था का नाम और पता; सामाजिक कार्यकर्ता का नाम और उनकी योग्यता।
33. दत्तक नियुक्ति, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार संस्था का नाम।